382-411
15/4/2011

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

कमांक/बैठक/2011/1801-II/382 दिनांक :15/4/मार्च, 2011

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 21 मार्च, 2011 को अपरान्ह 2.30 बजे श्री रमेश के. जैन, संभागीय आयुक्त महोदय एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 21 अक्टूबर, 2010 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन

बैठक में सचिव द्वारा गत बैठक दिनांक 21 अक्टूबर, 2010 में लिये गये निर्णय एवं उनकी अनुपालना प्रस्तुत की जिस पर निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गयेः–

क्रं. सं.	प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण व निर्णय	अनुपालना	बैठक में प्रदत्त निर्देश का विवरण
1.	1	गत बैठक दिनांक 13 अप्रैल, 2010 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि	पालना अपेक्षित नहीं हैं।	पालना अपेक्षित नहीं हैं।
2.	2	विष्णु कॉलोनी चांदणा भाकर के गंदे नाले में बैठे व्यक्तियो को भूमि आवंटन।	गंदे नाले में बैठे व्यक्तियों को ग्राम चौखा में पुनर्वासित किये जाने हेतु राज्य सरकार से आरक्षित दर की 25 प्रतिशत रियायती दर पर आवंटन की अनुमति चाही गयी है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।	इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अर्द्ध शासकीय पत्र लिखे जाने के निर्देश प्रदान किये।
3.	3–	नगर निगम, जोधपुर को प्राधिकरण की विभिन्न योजनाएं एवं कॉलोनियों के हस्तान्तरण की पुष्टि।	हस्तान्तरित योजनाओं की अधिकांश पत्रावलियां नगर निगम, जोधपुर को सुपुर्द कर दी गयी है।	जिला कलक्टर, जोधपुर नगर निगम एवं प्राधिकरण के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित कर योजना हस्तान्तरण के कम में हस्तान्तरित पत्रावलियों के ले–आऊट प्लान, सम्पत्ति रजिस्टर आदि हस्तान्तरण की समीक्षा करेंगे।
4.	4–	भूखण्ड विकय, नाम हस्तान्तरण आदि में देय राशि जयपुर	निर्णय अनुसार कार्यवाही की जा रही हैं। पालना अपेक्षित नहीं हैं।	पालना अपेक्षित नहीं है।

		विकास प्राधिकरण के समान नियत करने पर चर्चा।		
5.	5—	लीज डीड नवीनीकरण शुल्क बढाये जाने पर चर्चा।	निर्णय अनुसार कार्यवाही की जा रही है। पालना अपेक्षित नहीं है।	पालना अपेक्षित नहीं है।
6.	6—	जोधपुर विकास प्राधिकरण सेवा नियम बनाये जाने पर चर्चा।	सेवा नियम बनाये जाने के संबंध में अभी तक कोई प्रकिया प्रारम्भ नहीं की गयी है। निदेशक–वित्त को प्रकिया प्रारम्भ करनी है।	बैठक में निदेशक–वित्त को प्राधिकरण के सेवा नियम बनाये जाने हेतु दिनांक 31 मार्च, 2011 तक समिति का गठन किया जाकर दिनांक 30 जून, 2011 तक सेवा नियमों को अन्तिम रूप दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
7.	7—	जोधपुर शहर में 15 मीटर से नीचे जल स्तर वाले क्षेत्रों में भूतल (बेसमेंट) निर्माण की स्वीकृति पर चर्चा।	जोधपुर शहर में 15 मीटर से नीचे जल स्तर वाले क्षेत्रों/जोन का चिन्हिकरण कर मानचित्र पर अंकन का कार्य निदेशक– आयोजना को मुख्य अभियन्ता, भू–जल विभाग से समन्वय करना था जो प्रारम्भ नहीं हुआ है।	बैठक में निदेशक–आयोजना को मुख्य अभियन्ता, भू–जल विभाग से समन्वय कर दिनांक 31 मार्च, 2011 तक जोधपुर शहर में 15 मीटर से नीचे जल स्तर वाले क्षेत्रों का मानचित्र पर अंकन करने हेतु निर्देशित किया गया।
8.	8—	अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी 2009 के तहत बनायी गयी योजना का अनुमोदन।	निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही करते हुए मैसर्स अरिहन्त सुपर स्ट्रक्चर, मुम्बई के साथ अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है। निर्मित होने वाले 1350 फ्लेट के विपरीत लगभग 5,000 प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुए हैं जिनका लॉटरी द्वारा आवंटन किया जाना है।	बैठक में प्रभारी अधिकारी, आवंटन शाखा को अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी के तहत प्राप्त आवेदन–पत्रों में से लॉटरी निकाली जाकर आवंटन की कार्यवाही दिनांक 18 अप्रैल, 2011 तक सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया।
9.	9—	बिना भू–उपयोग परिवर्तन कराये निर्मित भवनों के निर्माण के संबंध में शारित निर्धारित करने के संबंध में विचार विमर्श।	निर्णय अनुसार कार्यवाही की जा रही है। पालना अपेक्षित नहीं है।	पालना अपेक्षित नहीं है।
10.	10—	राजीव गांधी बहुउद्देशीय योजना में विविध विसंगतियों के निस्तारण पर	i)— निर्देशानुसार पालना की जा रही है। कतिपय प्रकरणों में आय वर्ग से भिन्न आय वर्ग	1) बैठक में प्रभारी अधिकारी, आवंटन शाखा को राजीव गांधी योजना में समान आय वर्ग के

		चर्चा।	में कम्प्यूटर त्रुटि से आवंटन होने से समान आय वर्ग के भूखण्डों का लॉटरी द्वारा आवंटन किया है। इस हेतु प्रकरणों का चिन्हिकरण किया गया है। II)– राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवंटित भूखण्डों की राशि जमा करवा दी गयी है। आवंटित भूखण्डों के मध्य एक्सपांसन ज्वाईंट छोड़े जाने हेतु 315 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि की मांग की गयी है। ले–आऊट प्लान में संशोधन कर आवंटन किया जाना अपेक्षित है।	भूखण्डों में लॉटरी निकाली जाकर कम्प्यूटर त्रुटि का दुरूस्तीकरण दिनांक 15 अप्रैल, 2011 तक करने हेतु निर्देशित किया गया। 2) बैठक में राजस्थान आवासन मण्डल को एक्सपांसन ज्वाईंट छोड़े जाने हेतु 315 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि वाणिज्यिक दर पर दिये जाने का निर्णय लिया गया क्योंकि आवंटित की जाने वाली भूमि कॉर्नर प्लाट है जो नीलामी द्वारा ही विकय किये जाने हैं।
11.	11–	पूर्वी पाल रोड, रामराजनगर व दन्तोपत ठेंगडी नगर में लॉटरी द्वारा किये गये आवंटनों का अनुमोदन।	पालना अपेक्षित नहीं हैं।	पालना अपेक्षित नहीं हैं।
12.	12–	कीर्तिनगर सेक्टर बी को डि–नोटिफाईड किये जाने एवं अतिकमण होने से योजना के आवंटियों को अन्यत्र भूमि आवंटन के संबंध में चर्चा।	अतिकमित 161 भूखण्डों के विरूद्ध सुन्दरसिंह भण्डारी नगर में 184 भूखण्डों का ले–आऊट प्लान बनाया गया है। लॉटरी निकाली जानी अवशेष है।	बैठक में प्रभारी अधिकारी, आवंटन शाखा को दिनांक 18 अप्रैल, 2011 तक कीर्तिनगर योजना में अतिकमित भूखण्डों की शिफ्टिग हेतु प्राधिकरण के निर्णयानुसार सुन्दरसिंह भण्डारी नगर योजना में आवंटन के कम में लॉटरी निकाले जाने के कार्य सम्पादन हेतु निर्देशित किया गया।
13.	13–	दन्तोपंत ठेंगडी नगर में स्थित भूखण्ड संख्या 1 से 154 के संबंध में।	पालना अपेक्षित नहीं हैं। निर्णयानुसार कार्यवाही की जारही है।	पालना अपेक्षित नहीं हैं।
14.	14–	विभिन्न भूखण्ड आवंटनों के प्रकरणों के संबंध में	निर्णय की अनुपालना में आवंटन किये जाकर आवश्यकतानुसार पुष्टि प्राधिकरण से करवायी जा रही है।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
15.	15–	विभिन्न संस्थाओं/	पालना की जा रही है।	जोधपुर विकास

		समाजों को भूमि आवंटन के संबंध में प्रस्ताव राज्य सरकार को किये जाने के संबंध में।	लम्बित भूमि आवंटन के प्रकरणों की सूची एजेण्डा के साथ अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। इस संबंध में नीति बनाया जाना अपेक्षित है।	प्राधिकरण क्षेत्र अधीन विभिन्न क्षेत्रों में विविध समाज/ व्यक्तियों द्वारा भूमि आवंटन की मांग की जाती रही है। राज्य सरकार द्वारा दिनाक 4 जनवरी, 2010 को परिपत्र जारी कर संस्थाओं को भूमि आवंटन पर रोक लगायी है किन्तु अति आवश्यक प्रकरणों को प्राधिकरण की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को विचारार्थ भिजवाये जाने के निर्देश दिये हैं। बैठक में विनिश्चय किया गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अल्पसंख्यक, महिला एवं बाल, निशक्त जन आदि वर्गों से जुडी संस्थाओं के, छात्रावास, शैक्षणिक, स्वरोजगार प्रशिक्षण/ अध्ययन से जुडे विषयों पर भूमि आवंटन की मांग की जाती है तो ऐसे प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत कर राज्य सरकार को अग्रेषित किये जावेंगे एवं आवश्यक समझे जाने की स्थिति में इनकी पुष्टि प्राधिकरण की आगामी बैठक में करवायी जावेगी।
16.	16–	पुराने अतिकमणों के एवज में भूखण्ड आवंटन किये जाने के संबंध में।	प्रकरण राज्य सरकार को निर्णयार्थ भेजा जाना अवशेष है।	बैठक में प्रभारी अधिकारी, आवंटन शाखा को दिनांक 31 मार्च, 2011 तक पुराने अतिकमणों के एवज में अन्य भूखण्ड आवंटन के संबंध में प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 21 अक्टूबर, 2010 में जरिये प्रस्ताव संख्या 16 में लिये गये निर्णय की अनुपालना हेतु राज्य

				सरकार से दिनांक 31 मार्च, 2011 तक पत्राचार करने हेतु सचिव को निर्देशित किया गया।
17.	17–	विभिन्न संस्थाओं/ समाजों को आवंटित भूमि / भूखण्ड की बकाया राशि जमा नहीं कराने पर भूखण्ड निरस्तीकरण के संबंध में।	विभिन्न संस्थाओं/ समाजों को भूमि आवंटन निरस्त किये गये हैं। संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जोधपुर प्रवास के दौरान व्यक्तिगत रूप से निवेदन करने पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देश के कम में संस्थाओं/ समाजों को आवंटित भूमियों की पत्रावलियां नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर दी गयी है।	अब पालना अपेक्षित नहीं है। प्रेषित प्रकरणों में राज्य सरकार के निर्देश अपेक्षित है।
18.	18–	कालबेलिया समाज को भूमि आवंटन के संबंध में चर्चा	राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कालबेलिया समाज को रियायती दर पर भूमि आवंटन की अनुमति प्रदत्त की गयी है। अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जानी हैं।	बैठक में राज्य सरकार से प्राप्त नवीनतम पत्र के कम में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
19.	19–	विवेक विहार योजना के संबंध में विचार विमर्श।	प्रकरण आज बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	मुख्य एजेण्डा में विस्तृत चर्चा की गयी है।
20.	20–	पावटा सी रोड का मार्गाधिकार 100 फीट से 80 फीट निर्धारित करने पर चर्चा।	प्रकरण आज बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	मुख्य एजेण्डा में विस्तृत चर्चा की गयी है।
21.	21–	मेघवाल समाज के महिला छात्रावास हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन के संबंध में विचार विमर्श।	मेघवाल समाज को महिला छात्रावास की मूल पत्रावलियां माथुर आयोग में भिजवायी गयी है। पत्रावली पुनः प्राधिकरण द्वारा पत्रावलियां मंगवाने हेतु नगरीय विकास विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है।	बैठक में प्रभारी अधिकारी, आवंटन शाखा को मेघवाल महिला छात्रावास हेतु भूमि आवंटन की पत्रावली माथुर आयोग से मंगवाये जाने हेतु अध्यक्ष महोदय की ओर से अर्द्ध शासकीय पत्र लिखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।
22.	22–	जोधपुर विकास	ले–आऊट प्लान में	पालना अपेक्षित नहीं हैं।

		प्राधिकरण की भूमि पर वन विभाग द्वारा चार दीवार निर्माण कराये जाने के संबंध में।	अंकित भूखण्ड़ों पर आवश्यकतानुसार चार दीवारी हटायी जाकर भूखण्ड स्वतंत्र कर दिये गये है।	

प्रस्ताव संख्या 2 :: प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में विकास कार्य सम्पादित करवाये जाने के पेटे ऋण प्राप्त किये जाने पर चर्चा

प्राधिकरण की राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु जन–स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के माध्यम से कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। चूंकि यह कार्य डिपोजिट कार्य की श्रेणी में आता हैं, अतः जन–स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को उनकी मांग अनुसार राशि अग्रिम तौर पर हस्तांतरित करनी होगी। अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के पत्रांक एसई/सिटी/जेयू/टीए/2010–11/13439 – 43 दिनांक 17 मार्च, 2011 राजीव गांधी नगर योजना एवं समीपवर्ती अन्य योजनाओं में पेयजल आपूर्ति की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाये जाने हेतु राशि रूपये 19.06 लाख अग्रिम दिया जाना है। योजना में जल आपूर्ति एवं संरचना निर्मित किये जाने हेतु राशि रूपये 29.20 करोड़ का तकमीना दिया गया है।

प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति को देखते हुए एक मुश्त राशि रू. 30 करोड़ हस्तांतरित की जानी सम्भव नहीं हैं। अतः RUDF से ऋण लिया जाना प्रस्तावित है।

उक्त ऋण यदि निर्धारित अवधि 6 से 9 माह के लिये लिया जाता है तो प्राधिकरण को 5–5.5% ब्याज चुकाना होगा अन्यथा 8.25% ब्याज चुकाना होगा। RUDF द्वारा 1% प्रोसेसिंग फीस पृथक से ली जावेगी।

प्राधिकरण हित में ऋण निश्चित अवधि के लिए लिया जाये व ऋण चुकाने हेतु समानान्तर कार्यवाही करते हुए अग्रिम तौर पर राजीव गांधी नगर योजना, रामराज नगर, दत्तोपथ ढेगड़ी, सुन्दरसिंह भण्डारी योजना व अन्य व्यवसायिक भूखण्डो को चिन्हित कर नीलामी कार्यक्रम निर्णित कर माह अप्रैल से जून तक नीलामी सम्पादित कर राजस्व अर्जन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक हैं ताकि निश्चित अवधि में ऋण का पुर्नभरण किया जा सकें।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की राजीव गांधी नगर आवासीय योजना व अन्य योजनाओं में पेयजल व अन्य विकास कार्यों हेतु आर.यू.डी. एफ. से 30.00 करोड़ रूपये का ऋण लिये जाने का निर्णय लिया गया। ऋण की राशि तब ही उठायी जायेगी जब जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा पेयजल आपूर्ति का कार्य सम्पादित करने हेतु कार्यादेश दिया जायेगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक अधिकारियों ने राशि हस्तान्तरण से पूर्व निविदा आमंत्रित किये जाने में तकनीकी कठिनाईयां आने की संभावना बतायी जिस पर अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि विभाग को राशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन–पत्र निविदा जारी करने से पूर्व प्रेषित कर दिया जावे।

राजीव गांधी नगर व अन्य योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) बनाये जाने हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग की मांग अनुसार 19.06 लाख रूपये की राशि अग्रिम भिजवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: प्राधिकरण में विभिन्न पदों के सृजन पर चर्चा

115

1— जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 9 के अन्तर्गत कार्मिकों / अधिकारियों की संख्या का अवधारण करने का अधिकार प्राधिकरण को प्रदत्त है। पूर्व में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त कुल 165 नवीन पदों की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया गया है। शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 13 जुलाई, 2010 से कुल 56 पदों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। शेष 109 पदों में से आवश्यक 48 पदों की स्वीकृति हेतु नगरीय विकास विभाग को निवेदन किया गया है। पदों की स्वीकृति राज्य सरकार के स्तर पर प्रकियाधीन है। पद स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव का अनुमोदन अपेक्षित है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से स्वीकृत 56 पद एवं नवीन 48 पदों की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजे गये प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

2— निदेशक–अभियांत्रिकी द्वारा सहायक अभियन्ता के 2 एवं कनिष्ठ अभियन्ता के 13 अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव दिया गया है। अतिरिक्त पद का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा आगामी माह में रेलवे ओवरब्रिज, रेलवे अण्डरपास, रिंग रोड़ आदि का विकास कार्य सम्पादित करवाया जावेगा। अतः अतिरिक्त पद सृजन हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

3— निम्नलिखित कर्मचारी बगैर पद स्वीकृति के प्राधिकरण में कार्यरत् हैः–

1.	श्री गोरधन मेघवाल, इलैक्ट्रीशियन	13 मई, 1997 से
2.	श्री मानाराम, इलैक्ट्रीशियन	13 मई, 1997 से
3.	श्री चांदरतन भाटी, इलैक्ट्रीशियन	13 मई, 1997 से
4.	श्री सोहन सिंह, वायरमैन	13 मई, 1997 से
5.	श्री अचलसिंह, वायरमैन	13 मई, 1997 से
6.	श्री घीसाराम, वायरमैन	13 मई, 1997 से
7.	श्री भोलाराम, वायरमैन	6 जनवरी, 1985 से
8.	श्री कमलेश छंगाणी, पम्प ऑपरेटर	19 मार्च, 1990 से
9.	श्री जयसिंह सांखला, पम्प ऑपरेटर	6 जनवरी, 1985 से

उपरोक्त कम संख्या 1 से 9 में अकित कर्मचारी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से उपरोक्त पदों पर कार्यरत् है। इलेक्ट्रीशियन के 4 पद सृजन हेतु प्राधिकरण के गठन पश्चात् पत्राचार किा गया है। वायर मैन व पम्प ऑपरेटर के पद सृजन हेतु न्यास के समय पत्राचार किया गया था किन्तु पद सृजित नहीं हुए। अब नवीन रूप से पद सृजन हेतु पत्राचार किये जाने के संबंध में प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि बिना पद स्वीकृति प्राधिकरण में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय एवं निर्देशों के कम में कार्यरत् कर्मचारियों हेतु पद स्वीकृत किये जाने के प्रकरण पृथक से पत्रावली में प्रस्तुत किये जावे जिससे जोधपुर विकास आयुक्त बाद परीक्षण समुचित निर्णय करेंगे।

4— निदेशक–वित्त के द्वारा प्राधिकरण के लेखा कार्य हेतु एक लेखाधिकारी व तीन लेखाकार के नवीन पद सृजन की मांग की गयी है। जिसकी स्वीकृति हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भविष्य में लेखा कार्यों में वृद्धि होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए नवीन पद सृजन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

5– प्राधिकरण की विभिन्न शाखाओं में संवेदक के माध्यम से कम्प्यूटर ऑपरेटर अनुबंध पर नियुक्त है। गत अनुबंध अन्तर्गत 35 कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यरत् थे। नवीन अनुबंध के तहत 35 कम्प्यूटर ऑपरेटर गत संख्या के समकक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण में फिलहाल 29 वरिष्ठ/कनिष्ठ लिपिक के पद रिक्त है। वर्तमान में 3 सेवा निवृत कनिष्ठ लिपिक कार्यरत् है। अतः 26 कम्प्यूटर ओपरेटर अनुबंध पर लगाया जाने की स्वीकृति दी जाती है। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर जोधपुर विकास आयुक्त/सचिव के अनुमोदन पश्चात् लगाया जावे। प्रत्येक कम्प्यूटर का प्रति माह बैक अप (Backup) रखे जाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में उपायुक्त–दक्षिण इस कार्य (बैक–अप रखने) का पर्यवेक्षण करेंगे।

6– क्षेत्रीय वन अधिकारी ने उद्यानिकी कार्यों हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त पद सृजन हेतु निवेदन किया है:–

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या
1.	सहायक वन संरक्षक	2 पद
2.	क्षेत्रीय वन अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	2
3.	निरीक्षक उद्यान	1
4.	सहायक निरीक्षक उद्यान	2
5.	हैड बागवान	6
6.	बागवान	10
7.	रिसर्च एसीस्टेंट	1

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उद्यानिकी कार्यों हेतु सृजित किये जाने वाले पदों का परीक्षण जोधपुर विकास आयुक्त पृथक से पत्रावली पर करें तत्पश्चात् आवश्यक होने पर प्रकरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 4 :: खसरा संख्या 269 ग्राम कुडी भगतासनी एवं मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया में अतिकमण हटाये जाने पर चर्चा

1– ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 269 की लगभग 50 बीघा भूमि पर ग्राम कुडी भगतासनी के वाशिंदों एवं अन्य व्यक्तियों के अतिकमण थे। प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 पर अवस्थित इस महत्वपूर्ण व्यवसायिक भूमि पर से समझाईश कर अतिकमण हटाये गये हैं। इस भूमि पर कुछ व्यक्ति वर्ष 1979 की बाढ़ के दौरान प्रशासन द्वारा शिफ्ट किये गये थे एवं उन्हें अस्थायी निवास के पट्टे भी दिये गये थे।

उक्त भूमि पर स्थानीय निवासियों द्वारा प्रस्तुत सर्वे अनुसार 101 भूखण्डों पर अतिकमण बताया गया है। इस संबंध में तहसीलदार–दक्षिण, अमीन एवं पटवारी द्वारा सर्वे करवाया गया एवं उक्त सर्वे के आधार पर मुख्य पाली रोड से लगती लगभग 30 – 35 बीघा भूमि पर बसे 61 कब्जेधारकों को पीछे की ओर 15 – 20 बीघा भूमि पर 200/150/100 वर्ग गज के भूखण्ड पर समझाईश कर अतिकमण हटाकर /पुनर्वास किया गया है।

(117)

वर्तमान में पीछे की 15 – 20 बीघा भूमि पर 35 व्यक्ति पूर्वानुसार अतिक्रमण कर काबिज है एवं लगभग 50 व्यक्तियों द्वारा पट्टों की छाया प्रति /नगर विकास न्यास अधिनियम के तहत जारी अतिक्रमण नोटिस अथवा कब्जे (बाडा) के आधार पर भूखण्ड की मांग की जा रही है। साथ ही कुछ व्यक्तियों/ संगठनों द्वारा भी भूखण्ड एवं मुआवजे की मांग की जा रही है।

अतः अतिक्रमियों के पुनर्वास एवं भूखण्ड आवंटन पर विचार हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत हुआ।

2– ग्राम सांगरिया में स्थित जोधपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर वर्ष 1999 में बनाई गई जिसमें दो चरणों में वर्ष 1999 एवं वर्ष 2008 में लॉटरी द्वारा भूखण्डों का आवंटन किया गया।

योजना में कुल 247 भूखण्ड थे जिनमें से 218 भूखण्ड लॉटरी/नीलामी द्वारा भूखण्डों का निष्पादन किया गया। उक्त योजना में 43 भूखण्डों पर मौके पर अतिक्रमण होने से 28 आवंटियों को कब्जा नहीं दिया जा सका। साथ ही 5 भूखण्डों का दोहरा आवंटन होने से उक्त 5 आवंटियों को वैकल्पिक भूखण्ड दिया जाना है। इस प्रकार कुल 33 आवंटियों को अभी तक भूखण्ड का कब्जा नहीं दिया जा सका है।

योजना पर अतिक्रमित 43 भूखण्डों पर 12 व्यक्तियों द्वारा किये गये अतिक्रमण हटाने एवं अतिक्रमियों के पुनर्वास बाबत नीतिगत निर्णय हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

योजना में 14 भूखण्ड मौके पर रिक्त है एवं 12 भूखण्ड बिना नम्बर के रिक्त है। इस प्रकार 26 भूखण्ड रिक्त है। कब्जे से शेष आवंटियों को कब्जा देने अथवा वैकल्पिक भूखण्ड देने बाबत प्रकरण नीतिगत निर्णय हेतु प्रकरण बैठक में प्रस्तुत हुआ।

बैठक में उपरोक्त दोनों बिन्दुओं पर बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जावे जिसमें उपायुक्त–दक्षिण, अधिशाषी अभियन्ता–दक्षिण, निदेशक–विधि एवं तहसीलदार–राजस्व सदस्य होंगे। उक्त समिति उपरोक्त प्रकरणों में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिससे प्राधिकरण की आगामी बैठक में इन प्रकरणों पर निर्णय लिया जा सके।

प्रस्ताव संख्या 5 :: नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित योजनाओं व कच्ची बस्तियों का अनुमोदन।

जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित प्राधिकरण की निम्नांकित योजनाओं का हस्तान्तरण निर्देशानुसार नगर निगम, जोधपुर को किया गया है:–

1.	कीर्ति नगर सेक्टर सी
2.	कीर्तिनगर सेक्टर डी
3.	मानजी का हत्था व्यवसायिक
4.	खसरा संख्या 129 ग्राम सूथला स्वतंत्रता सैनानी कॉलोनी
5.	खसरा संख्या 129 ग्राम सूथला
6.	मीरा कॉलोनी
7.	तुलसी कॉलोनी
8.	बग्गीखाना क्वार्टर ए बी सी डी ई (निर्मित आवासगृह हुडको शाखा)
9.	सेन्ट्रल स्कूल क्वार्टर (निर्मित आवासगृह हुडको शाखा)
10.	इन्द्रा कॉलोनी बग्गी खाना (निर्मित दुकानें हुडको शाखा)

11.	रातानाडा पुरी पेट्रोल पम्प के पास (निर्मित दुकानें हुडको शाखा)
12.	सरदार कलब योजना (निर्मित दुकानें हुडको शाखा)
13.	रातानाडा बाजार (निर्मित दुकानें हुडको शाखा)
14.	लालसागर निर्मित आवास व भूखण्ड
15.	कागा योजना निर्मित आवास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के
16.	रिया हाऊस सोजतीगेट निर्मित दुकानें
17.	लालसागर डीआरडीए की दुकानें
18.	किशोर बाग डीआरडीए की दुकानें
19.	मण्डोर उद्यान निर्मित दुकानें
20.	कमला नेहरू नगर सेक्टर ई हुडको आवास
21.	प्रतापनगर सेक्टर के निर्मित आवास व भूखण्ड
22.	प्रतापनगर सेक्टर जे
23.	प्रतापनगर 96 क्वाटर
24.	प्रतापनगर अम्बेडकर कॉलोनी आवास
25.	प्रतापनगर सेक्टर सी निर्मित दुकानें
26.	प्रतापनगर सेक्टर जी निर्मित दुकानें
27.	कमला नेहरू नगर सेक्टर डी निर्मित दुकानें
28.	कमला नेहरू नगर सेक्टर बी निर्मित दुकानें
29.	कमला नेहरू नगर सेक्टर ई निर्मित दुकानें
30.	मसूरिया सेक्सन–7 विस्तार योजना निर्मित दुकानें/व्यवसायिक भूखण्ड
31.	मसूरिया सेक्सन–7
32.	कीर्तिनगर विस्तार निर्मित आवास
33.	कीर्तिनगर सेक्टर सी निर्मित आवास
34.	पूर्वीपाल रोड विस्तार (डबी) आवास
35.	पूर्वी पाल रोड शोभावतों की ढाणी
36.	मसूरिया सेक्सन–4 निर्मित दुकानें ए बी सी डी ई जी व एच
37.	मधुबन कॉलोनी सरस्वती नगर निर्मित दुकानें
38.	भगत की कोठी विस्तार निर्मित दुकानें/भूखण्ड
39.	घण्टाघर ओवरब्रिज निर्मित कियोस्क
40.	12वीं रोड भूखण्ड व निर्मित दुकानें
41.	मेडिकल कॉलेज नाले के पास निर्मित दुकानें
42.	विभिन्न क्षेत्रों में किराये पर दी गयी निर्मित कियोस्क की पत्रावलियां
43.	सरदार कलब कच्ची बस्ती
44.	मगजी की घाटी
45.	निर्माण कॉलोनी मण्डोर
46.	जूनी बस्ती मण्डोर
47.	जनता कॉलोनी मण्डोर
48.	भील बस्ती पूंजला
49.	मेघवाल बस्ती पूंजला
50.	हरिजन मेघवाल बस्ती
51.	जटिया भाण्ड बस्ती भदवासिया
52.	सन्त रविदास कॉलोनी
53.	पेतलाव नाडी मण्डोर

54.	विष्णुनगर आरटीओ ऑफिस के पीछे
55.	इन्द्रा कॉलोनी महामंदिर
56.	कीर्तिनगर सेक्टर बी
57.	अशोक कॉलोनी कीर्तिनगर
58.	कीर्तिनगर हुडको क्वाटर के पास
59.	राजीव गांधी कॉलोनी कीर्तिनगर व सी डी के सामने
60.	रिपलेसमेंट कॉलोनी
61.	भदवासिया खसरा संख्या 60 के पास
62.	अन्नसागर बांध
63.	बीएसएफ से रावटी रोड
64.	बासनी तम्बोलिया
65.	जूनी बस्ती कीर्तिनगर
66.	बालसमंद गेट के बाहर
67.	सूरपूरा बांध के पीछे आंगणवा चौराहा
68.	आयुर्वेदिक अस्पताल के पीछे निम्बा निम्बडी
69.	बलेदार बस्ती बालसमंद रोड
70.	हरिजन बस्ती बनाड चुंगीनाका
71.	गांधी पुरा
72.	कागा शीतला माता मंदिर सेवा सदन
73.	नई भाकरी बास
74.	माता का कुण्ड चांदपोल
75.	बाबा नाडी चांदपोल
76.	छोटी भील बस्ती चांदपोल
77.	भूरी बेरी सूरसागर
78.	व्यापारियों का बास सूरसागर
79.	मेघवाल बस्ती तिंवरी चौराहा
80.	बेलदार बस्ती कालीबेरी स्कूल के पीछे
81.	कुत्तों का बाडा सूरसागर
82.	मेघवाल बस्ती चौपासनी
83.	राजीव गांधी कॉलोनी सोमानी कॉलोनी
84.	राजीव गांधी कॉलोनी कुडी भगतासनी खसरा संख्या 7
85.	चांदणा भाकर समस्त क्षेत्र
86.	गुजराती कॉलोनी
87.	गणशहिदा कॉलोनी
88.	कबीरनगर पहाडी की तलहटी
89.	भैरवाभाकर कबीरनगर
90.	इन्द्रा कॉलोनी प्रतापनगर
91.	गोरधन तालाब चांदपोल
92.	तिलवाडिया प्रथम
93.	हनुमान जी का बाडिया
94.	राजीव गांधी कॉलोनी कृषि मण्डी बासनी
95.	सूरज बस्ती हरिजन बस्ती
96.	मीरा कॉलोनी

120

97.	गुर्रा का तालाब
98.	शोभावतों की ढाणी
99.	ओम कॉलोनी सरस्वती नगर
100.	विवेक विहार खसरा संख्या 279
101.	सुन्दर बालाजी के पीछे
102.	राजीव गांधी कॉलोनी पाल रोड
103.	राधाकृष्णपुरम चौखा
104.	पुरानी भाकर बास
105.	महाराणा प्रताप कॉलोनी
106.	सरस्वती नगर घांचियों की गुफा
107.	प्रजापत कॉलोनी झालामण्ड
108.	खारी ढाणिया सरस्वती नगर के पास
109.	भाट कॉलोनी केके कॉलोनी के पास
110.	पाबूपुरा कच्ची बस्ती
111.	नूर मोहम्मद कॉलोनी
112.	हरिजन बस्ती राईकाबाग
113.	बंशी होटल के पास
114.	चौपासनी स्कूल के पश्चिम सर प्रताप कॉलोनी
115.	भदरवा मोहल्ला चौखा
116.	ढाणियां रूपसिंह की
117.	सुखदेव नगर चौखा रोड
118.	लक्ष्मण घाटी भूरटिया
119.	भूरटिया
120.	ढब्बू कॉलोनी प्रतापनगर शमशान
121.	शेरे राजस्थान कॉलोनी प्रतापनगर
122.	रेल्वे लाईन के पास कबीर नगर
123.	तिंवरी रोड मेघवाल बस्ती
124.	कालीबेरी स्कूल के पीछे मेघवाल बस्ती
125.	गोयलों की ढाणी
126.	शिक्षक कॉलोनी
127.	पठानकोट
128.	तिलवाडिया–द्वितीय
129.	ऊंटों की घाटी
130.	रूपावतों का बेरा
131.	सोढों की ढाणी भील बस्ती कालीबेरी
132.	गढेरों की ढाणी
133.	चौखा क्षेत्र
134.	कालबेलिया कॉलोनी झंवर रोड चौखा

प्राधिकरण द्वारा नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित की गई उपरोक्त कॉलोनी की कार्यवाही की पुष्टि हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

46 खसरा व पूर्वी पाल रोड योजना को भी प्राधिकरण द्वारा नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में विनिश्चयन किया जाना है।

(12)

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित योजनाओं का अनुमोदन किया गया। 46 खसरों में अवस्थित श्यामनगर योजना को छोड़कर अन्य योजनाएं भी हस्तान्तरित करने का विनिश्चयन किया गया। श्यामनगर व पूर्वी पाल रोड योजना में कतिपय विवाद होने से फिलहाल इन योजनाओं को प्राधिकरण के पास ही रखे जाने का निर्णय लिया गया। जिला कलक्टर, जोधपुर प्राधिकरण एवं नगर निगम, जोधपुर के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित कर हस्तान्तरित योजनाओं से संबंधित सम्पत्ति रजिस्टर, ले–आऊट प्लान व पत्रावलियां शत प्रतिशत हस्तान्तरण सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से बैठक आहूत कर समीक्षा करेंगे।

प्रस्ताव संख्या 6 :: विवेक विहार योजना के प्रस्ताव का अनुमोदन।

ग्राम सांगरिया एवं कुडी भगतासनी पर केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जारी एवार्ड दिनांक 26 अक्टूबर, 2004 के द्वारा अवाप्तसुदा 3094–16 बीघा भूमि एवं खसरा संख्या 191, 192 ग्राम कुडी भगतासनी की लगभग 78 बीघा भूमि एवं ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 235 की 12 बीघा भूमि उक्त दोनों ग्रामों में रास्ते की भूमि रकबा 65–17 बिस्वा कुल लगभग 3250 बीघा भूमि पर विवेक विहार योजना बनायी गयी है।

राज्य सरकार के पत्र दिनांक 20 मई, 2010 एवं दिनांक 4 फरवरी, 2011 में योजना की कियान्विती बाबत निर्देश जारी किये गये हैं। ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 16 मार्च, 2011 के द्वारा ले–आऊट अनुमोदन कर दिया गया है। जिसके तहत फेज–प्रथम में सेक्टर ए, फेज–द्वितीय में सेक्टर बी. से ओ. बनाये गये हैं।

अतः उपरोक्तानुसार योजना एवं उसकी कियान्विती हेतु प्राप्त निर्देश एवं ले–आऊट प्लान प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ/विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ बैठक में प्रस्तुत किया गया।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि विवेक विहार योजना के स्वीकृत ले–आऊट प्लान की विस्तृत चर्चा की जाकर योजना प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: सेक्टर रोड नेटवर्क प्लान बनाये जाने तक नवीन ले–आऊट प्लान पारित नहीं किये जाने के बिन्दु पर चर्चा

राज्य सरकार द्वारा जोधपुर शहर का मास्टर प्लान वर्ष 2003 से 2023 तक अधिसूचित किया हुआ है। ले–आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण निदेशक–आयोजना के स्तर पर किया जाकर उसकी स्वीकृति आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित ले–आऊट प्लान समिति के स्तर पर मास्टर प्लान के अनुरूप की जाती है।

वर्ष 2003 से 2023 तक अधिसूचित मास्टर प्लान में निम्नानुसार सड़कों का मार्गाधिकार प्रस्तावित किया गया है:–

क्र.सं.	सड़कों का प्रकार	सड़कों के मार्गाधिकार (फीट में)
1–	राष्ट्रीय राजमार्ग/बाईपास	200
2–	राज्य राजमार्ग एवं आरटेरियल	160–200
3–	सब–आरटेरियल	120–160
4–	प्रमुख मार्ग (मेजर मार्ग)	80–120
5–	फीडर रोड	60–80

6–	आवासीय मार्ग	40–60

ले–आऊट प्लान की जांच करते समय उक्त सड़कों को मास्टर प्लान के प्रस्ताव अनुसार यथावत् रखते हुए अनुमोदित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही राज्य के विभिन्न शहरों हेतु कन्सल्टेन्ट्स की नियुक्ति किया जाना प्रकियाधीन है तत्पश्चात् अवशेष ग्रामों का मास्टर प्लान बनाया जाएगा एवं पूर्व में जिन ग्रामों का मास्टर प्लान बनाया गया है उनके सेक्टर रोड नेटवर्क प्लान बनाये जायेंगे।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के गठन से पूर्व नगर सुधार न्यास के समय 72 ग्रामों का मास्टर प्लान अधिसूचित है। जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के गठन के पश्चात् 235 ग्राम अधिसूचित हो चुके हैं। अवशेष 162 ग्राम अधिसूचित होने की प्रकिया में हैं। भविष्य में संपूर्ण जोधपुर रीजन का मास्टर प्लान बनाया जाना होगा।

सुनियोजित विकास की दृष्टि से मास्टर प्लान 2003 – 2023 में अधिसूचित ग्रामों के सेक्टर रोड़ नेटवर्क बनने तक 90–बी नियमन एवम् ले–आऊट प्लान अनुमोदन पर रोक लगाये जाने के संबंध में निर्णयार्थ प्रकरण बैठक में प्रस्तुत हुआ।

जयपुर विकास प्राधिकरण में 25 एकड़ तक भूमि के ले–आऊट प्लान अनुमोदन पत्रावली किये जाते हैं। इस हेतु ले–आऊट प्लान समिति में रखा जाना आवश्यक नहीं हैं। अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में 15 एकड़ भूमि तक के ले–आऊट प्लान अनुमोदन पत्रावली पर किये जाने के संबंध में निर्णयार्थ / विचारार्थ बैठक में प्रस्तुत हुआ।

बैठक में निदेशक–आयोजना द्वारा अधिकांश सेक्टर रोड नेटवर्क प्लान पूर्व से ही उपलब्ध होने से नवीन सेक्टर रोड नेटवर्क प्लान बनाये जाने की आवश्यकता नहीं बतायी गयी। जिस पर सचिव, प्राधिकरण ने उनकी जानकारी अनुसार पर्याप्त सेक्टर रोड़ नेटवर्क प्लान पूर्व से ही उपलब्ध होने की बात पर असहमति जताई। सचिव ने यह भी अवगत कराया कि कोई भी सेक्टर रोड नेटवर्क प्लान अधिसूचित नहीं हैं। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बैठक में निर्णय लिया गया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अब तक बनाये गये सेक्टर रोड़ नेटवर्क प्लान की विस्तृत ब्यौरा निदेशक–आयोजना उपलब्ध करवायेंगे। निदेशक–आयोजना द्वारा ब्यौरा उपलब्ध करवाये जाने पर परीक्षण कर पुनः आगामी बैठक में प्रकरण विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत करें।

बैठक में यह भी निर्णय लिया कि पूर्व में अध्यक्ष महोदय द्वारा किसी भी योजना के ले–आऊट प्लान में सड़क की चौडाई 40 फीट से न्यून नहीं रखे जाने के निर्देश दिये थे किन्तु नवीन टाऊनशिप पॉलिसी 2010 में 100 मीटर से कम लम्बाई की सड़कों में चौडाई 30 फीट भी हो सकती है। अतः न्यूनतम सड़क की चौड़ाई 40 फीट रखे जाने की अनिवार्यता समाप्त की जाती है।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण में 25 एकड़ से कम के प्रकरणों में जोनल लेवल कमेटी की अनुशंषा के आधार पर अतिरिक्त आयुक्त एवं निदेशक (आयोजना) के माध्यम से जयपुर विकास आयुक्त द्वारा ले–आऊट प्लान अनुमोदन का प्रावधान है। अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण में भी 15 एकड़ से कम भूमि के ले–आऊट प्लान जोनल लेवल कमेटी की अनुशंषा के आधार पर सचिव के माध्यम से आयुक्त को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे। इससे अधिक के प्लान ले–आऊट कमेटी में रखे जावे।

प्रस्ताव संख्या 8 :: विभिन्न राजकीय विभागों/संस्था को भूमि आवंटन का अनुमोदन।

प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित राजकीय विभागों/संस्था को भूमि का आवंटन निःशुल्क/रियायती दर पर किया गया है:-

1.	ग्राम कडवड, घडाव व झीपासनी के कुल 17 खसरान की 502.03 बीघा भूमि आई. आई.टी. की स्थापना हेतु निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान को निःशुल्क आवंटन
2.	ग्राम बावडी के खसरा संख्या 1234/4 रकबा 28-07 बीघा भूमि में से 10 बीघा भूमि नवसृजित पंचायत बावडी के कार्यालय भवन हेतु निःशुल्क आवंटन
3.	ग्राम सूरपुरा के खसरा संख्या 6 रकबा 354 बीघा भूमि से 5 बीघा भूमि आबकारी विभाग को मालखाना एवं राजकीय कार्यालय हेतु निःशुल्क आवंटन।
4.	राजीव गांधी आवासीय योजना में विभिन्न स्थानों पर सब स्टेशन की स्थापना हेतु जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को निःशुल्क आवंटन
5.	राजीव गांधी आवासीय योजना में 3703 वर्ग मीटर भूमि ग्राम स्वरोजगार संस्थान प्रशिक्षण संस्थान शहरी क्षेत्र हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन।
6.	पूर्वी पाल रोड योजना के खसरा संख्या 740/1011 में 1 एकड़ भूमि वृद्धाश्रम कार्यालय एवं स्टाफ क्वाटर हेतु समाज कल्याण विभाग को निःशुल्क आवंटन।
7.	ग्राम खोखरिया के खसरा संख्या 119 में 2 बीघा भूमि ग्रामीण न्यायालय भवन निर्माण हेतु रजिस्ट्रार, न्याय विभाग, जोधपुर को निःशुल्क भूमि आवंटन।
8.	बासनी तम्बोलिया योजना के खसरा संख्या 7 में 9244 वर्ग गज भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरपुरा को विद्यालय हेतु निःशुल्क आवंटन।
9.	ग्राम मथानिया खसरा संख्या 2 में 2 बीघा भूमि चर्म उद्योग हेतु ग्राम पंचायत, मथानियां को निःशुल्क आवंटन।
10.	ग्राम पालडी खिचियान के खसरा संख्या 80 व 93 में 30 बीघा भूमि मोटर ड्राईविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट हेतु परिवहन विभाग को निःशुल्क आवंटन।
11.	ग्राम भवाद खसरा संख्या 296 में 83-03 बीघा भूमि में से 40 बीघा भूमि जीएसएस निर्माण हेतु जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को आवंटन
12.	ग्राम कांकाणी खसरा संख्या 587 में 140 बीघा भूमि जीएसएस निर्माण हेतु जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को आवंटन
13.	हुडको क्वाटर योजना में दर्शायी रिजर्व फोर शैल्टर की 500 वर्ग मीटर भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शोभावतों की ढाणी को विद्यालय हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन।
14.	ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा संख्या 111 में 5950 वर्ग गज भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय पूर्वी पश्चिम पाल रोड को विद्यालय हेतु निःशुल्क आवंटन।
15.	पूर्वी पाल रोड योजना के खसरा संख्या 1022/740 में 1 बीघा भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेघवाल बस्ती खेमे का कुआ को विद्यालय हेतु निःशुल्क आवंटन।

(124)

16.	ग्राम चौखा के खसरा संख्या 72 में 10 बीघा भूमि नैत्रहीन विकास संस्थान को मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा के कम में निःशुल्क आवंटन।
17.	पूर्व में विजयराजे नगर में श्री विजयमल जैन, श्री धनराज जैन आदि को शिफ्टिंग में दिये गये भूखण्ड़ों का अनुमोदन।

अतः उपरोक्तानुसार किये गये आवंटन की पुष्टि हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से विभिन्न राजकीय विभाग/संस्थाओं/व्यक्तियों को भूमि आवंटन किये जाने का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: पवन ऊर्जा एवम् सौर ऊर्जा संयंत्र हेतु किये गये भूमि आवंटन का अनुमोदन

प्राधिकरण द्वारा सौर/पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु ऊर्जा नीति 2004 के तहत क्षेत्र डी.एल.सी. दर के 10 प्रतिशत राशि पर आवंटन किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

1– मैसर्स सोवेक्स रिन्यूवेबल प्राईवेट लिमिटेड को ग्राम दुग्गर तहसील शेरगढ के खसरा संख्या 282 में 3.5 हैक्टेयर भूमि 1 मेगावाट सौलर पीवी पावर प्रोजेक्ट हेतु

2– मैसर्स एनकोन इण्डिया लिमिटेड को ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 111 में 30 बीघा, खसरा संख्या 327 में 61–03 बीघा, खसरा संख्या 276 में 18–10 बीघा खसरा संख्या 272 में 16–05 बीघा, खसरा संख्या 276 में 123–01 बीघा, खसरा संख्या 390 में 15–16 बीघा, ग्राम डिगाडी मे खसरा संख्या 107/1 में 92–11 बीघा, खसरा संख्या 105/1 में 154–05 बीघा ग्राम बडा कोटेचा में खसरा संख्या 325/1 में 123–01 बीघा, खसरा संख्या 323/1 में 154–05 बीघा, ग्राम नैरवा चारणा के खसरा संख्या 309/2 में 18–10 बीघा कुल रकबा 1094–00 बीघा भूमि पवन ऊर्जा हेतु

राज्य सरकार के पत्र कमांक एफ. 3 (619) नविवि/3/09 दिनांक 18 जनवरी, 2011 द्वारा ऊर्जा नीति 2004 के तहत आवंटन करने हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को अधिकृत किये जाने पर उपरोक्तानुसार आवंटन किये गये हैं जिनकी पुष्टि हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रौत विकसित करने की दृष्टि से राज्य सरकार की नीति के अनुरूप किये गये उपरोक्त आवंटन का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: दन्तोपंथ ढेंगडी/रामराज नगर में शिफ्टिंग में दिये गये भूखण्ड़ों की लॉटरी की पुष्टि एवं इनमें आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों पर चर्चा

नगर विकास न्यास जोधपुर की दन्तोपन्त ढेगड़ी नगर योजना के भूखण्डो के आवंटन की लॉटरी दिनांक 25.07.2008 एवं रामराज नगर योजना के भूखण्डो के आवंटन की दिनांक 14.07.2008 को निकाली गई थी। योजना बनने से पूर्व ही योजना के भूखण्डो पर अतिक्रमण था जिसे हटाये बिना ही भूखण्डो का आवंटन कर दिया गया। आवंटियों द्वारा भूखण्ड की राशि जमा करवाकर लीजडीड भी प्राप्त कर ली है। जिससे आवंटियों को भूखण्डो का भौतिक कब्जा सुपूर्द नही किया जा सका। पूर्व में अतिक्रमित आवंटित भूखण्डो की संख्या 54 थी। इन्हें समतुल्य

वैकल्पिक भूखण्ड देने से पूर्व मौके पर सर्वे करवायी गई जिसमें अतिक्रमित आवंटित भूखण्डो की संख्या 60 पाई गई। निर्णय की पालना में लगभग समकक्ष वैकल्पिक भूखण्ड के आवंटन हेतु दिनांक 14.10.2010 को लॉटरी निकाली गई। सभी 60 आवंटियों को भूखण्डो का आवंटन पत्र माह जनवरी 2011 में जारी कर दिये गये। इन 60 आवंटियोंमें से 15 आवंटियों को पूर्व में ही लीजडीड जारी कर दी गई। इनके द्वारा लीजडीड का पंजीयन उप पंजीयन कार्यालय जोधपुर में निर्धारित पंजीयन शुल्क अदाकर पूर्व में ही करवा लिया गया। जिनकी सूची निम्न प्रकार है :–

क्रं. सं.	आवंटी का नाम	पूर्व आवंटित भूखण्ड संख्या जिसकी लीजडीड जारी है	योजना का नाम
1	श्री हरदेव सिंह सिन्धु	66 सेक्टर 2	रामराज नगर
2	श्री गौरव सोंलकी	280 सेक्टर 2	रामराज नगर
3	श्रीमती सुनीता	567	दन्तोपन्त ढेगड़ी नगर
4	श्रीमती सुनिता कल्ला	544	दन्तोपन्त ढेगड़ी नगर
5	श्री गोकुल राम	571	दन्तोपन्त ढेगड़ी नगर
6	श्री कैलाश नाथ	569	दन्तोपन्त ढेगड़ी नगर
7	श्री किशन सिंह	565	दन्तोपन्त ढेगड़ी नगर
8	श्री प्रशान्त कल्ला	563	दन्तोपन्त ढेगड़ी नगर
9	श्री अनिल कुमार	562	दन्तोपन्त ढेगड़ी नगर
10	श्रीमती शान्ती गोड	564	दन्तोपन्त ढेगड़ी नगर
11	श्री जीवन राम	573	दन्तोपन्त ढेगड़ी नगर
12	श्री शिव पुरी	570	दन्तोपन्त ढेगड़ी नगर
13	श्री नन्द किशोर	566	दन्तोपन्त ढेगड़ी नगर
14	श्रीमती गायत्री शर्मा	559	दन्तोपन्त ढेगड़ी नगर
15	श्री लाला राम जेलिया	568	दन्तोपन्त ढेगड़ी नगर

उपरोक्तानुसार सभी 60 आवंटियों को वैकल्पिक दिये गये भूखण्डो की लीजडीड जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उपरोक्त सूचीनुसार वर्णित 15 आवंटियों द्वारा पूर्व में ही आवंटित भूखण्डो की लीजडीड का पंजीयन करवाकर पंजीयन शुल्क जमा करवा दिया गया है। नवीन लीज डीड जारी किये जाने से लीज डीड का पंजीयन करवाने हेतु उन्हें पुनः पंजीयन शुल्क जमा कराना होगा। ऐसे आवंटियों को पंजीयन शुल्क में छूट हेतु राज्य सरकार को लिखा जाना प्रस्तावित है। कुछ आवंटियों को सामान आकार का भूखण्ड़ नहीं मिलने से उनके द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। किन्तु योजना में सामान आकार के भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण निकटतम आकार के भूखण्ड आवंटित किये गये हैं।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से दन्तोपथ ठेंगडी नगर/रामराज नगर योजना में शिफ्टिंग में दिये गये भूखण्ड़ों का लॉटरी द्वारा किये गये आवंटन की पुष्टि की गयी एवं पंजीयन शुल्क बाबत महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक से पत्राचार करने के निर्देश दिये गये।

प्रस्ताव संख्या 11 :: **राजीव गांधी नगर योजना में अनुसूचित जन जाति के आरक्षित भूखण्डों को पुनः आवंटन/ नीलामी पर चर्चा**

1– जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा राजीव गांधी आवासीय योजना के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गये थे। योजना में वर्गवार अलग–अलग भूखण्ड आरक्षित थे। राजीव गांधी नगर योजना में दिनांक 15.02.2010 को लॉटरी द्वारा भूखण्ड आवंटित किये गये थे। निम्न सूची अनुसार 12 आवेदको ने गलत सूचना पेश कर अनुसूचित जन–जाति वर्ग (S.T.) में आवेदन पत्र पेश किया है इन्हें भूखण्ड आवंटन भी हो गये आवेदन पत्र की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि आवंटियो द्वारा आवेदन पत्र में अनुसूचित जन–जाति वर्ग में आवेदन किया है जबकि आवंटी

126

अनुसूचित जन–जाति वर्ग का नही है। गलत वर्ग आवेदन कर आवंटी द्वारा प्राधिकरण को गलत सूचना दी गई। आवेदन पत्र में प्रार्थी द्वारा यह घोषणा की गई है कि आवेदन पत्र में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सही है तथा कोई तथ्य छिपाया नही है, जबकि आवंटी ने अनुसूचित जन जाति वर्ग का नही होते हुए भी अनुसूचित जन जाति वर्ग में आवेदन किया है। राजीव गांधी नगर के आवेदन पत्र की विवरणिका में भी पृष्ठ संख्या 10 पर शर्त संख्या 8 में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि नियम विरूद्ध एवं गलत सूचना देने पर आवेदन पत्र/आवंटन निरस्त किया जाकर भूखण्ड की जमा करायी गई राशि जब्त कर ली जावेगी तथा उन्हें भविष्य में आवासीय भूखण्ड़ के लिए आवेदन करने हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। साथ ही ऐसे आवेदनकर्ता के विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जायेगी। आवंटन पत्र की शर्त संख्या 13 में भी यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है, कि यह आवंटन पत्र आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना के आधार पर जारी किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना मे कोई मिथ्या सूचना पाई गई तो आवंटन आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। यह अधिकार पत्र प्रोविजनल पत्र है जिसे सूचना के सत्यापन पर अन्तिम माना जायेगा। आवंटियो ने गलत सूचना देकर तथ्य छिपाये है जिसके आधार पर गलत आवंटन हुआ है। जिनकी सूची निम्न प्रकार है:–

क्रं. सं.	भूखण्ड संख्या	आवंटी का नाम	विशेष विवरण
1	ए–372	श्री नन्दलाल जगवानी	जवाब पेश
2	जे–148	श्री रमेश राठौड़	जवाब पेश
3	आई–492	श्री अर्जुन दास	जवाब पेश
4	आई–504	श्री मोहम्मद ईमरान	जवाब पेश
5	जे–606	श्री थानाराम	जवाब पेश
6	डी–307	श्री कालुराम	लीजडीड जारी
7	एच–60	श्री ढ़लाराम कुमावत	लीजडीड जारी
8	जे–33	श्रीमती सुशीला	लीजडीड जारी
9	जे–250	श्री चम्पालाल रेगर	लीजडीड जारी
10	जे–497	श्रीमती कान्ता	लीजडीड जारी
11	आई–587	श्री नृसिंह	राशि जमा
12	जे–498	श्रीमती मधु देवी	राशि जमा नही

उपरोक्त 12 आवंटियो को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 07.02.2011, 08.02.2011 व 09.02.2011 को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवसों समय दिया गया था। इनमें से 5 आवंटियो द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया जो सन्तोषप्रद नही होने के कारण एवं अन्य 7 आवंटी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्राधिकरण द्वारा दिनांक 09.03.2011 को भूखण्ड निरस्त किये जाकर आवेदकों को सूचित कर दिया गया है।

अतः प्राधिकरण के समक्ष उक्त निरस्तीकरण का अनुमोदन हेतु प्रस्तुत बैठक में प्रस्तुत हुआ।

2– राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 182 भूखण्ड आरक्षित थे जिनके विरूद्व एक वर्ग में आवेदन–पत्र आरक्षित भूखण्ड की संख्या से कम आवेदन–पत्र प्राप्त होने के कारण कुल 176 भूखण्ड ही आवंटित किये जा सके। अनुसूचित जन जाति वर्ग को लॉटरी द्वारा आवंटित 176 भूखण्डों में 142 भूखण्ड अनुसूचित जन जाति वर्ग को सही आवंटित किये गये तथा 21 आवेदकों ने अनुसूचित जाति वर्ग का आवेदक नहीं होते हुए भी अनुसूचित वर्ग में आवेदन किया। अतः उनके भूखण्ड़ प्राधिकरण द्वारा गलत वर्ग में आवेदन करने के कारण निरस्त किये जा चुके हैं। आवंटित 13 भूखण्ड़धारियों द्वारा अनुसूचित जन जाति वर्ग में आवेदन नहीं करने के बावजूद भी कम्प्यूटर त्रुटि के कारण लॉटरी में अनुसूचित जन जाति वर्ग में भूखण्ड़ आवंटित हो गये हैं। राजीव गांधी नगर आवासीय योजना की लॉटरी समिति के निर्णय दिनांक 14 फरवरी, 2010 के अनुसार ऐसे आवंटी जिन्होंने सही वर्ग में

आवेदन किया हैं किन्तु उन्हें कम्प्यूटर त्रुटि के कारण अन्य वर्ग में भूखण्ड आवंटित हो गया है उनके सही वर्ग में भूखण्ड आवंटन मानते हुए नियमन किया जाना था। 3 आवंटियों के भूखण्ड़ नियमित किये जा चुके हैं। शेष 10 आवंटियों के भूखण्ड नियमन की प्रकिया में हैं।

अनुसूचित जन जाति वर्ग को आरक्षित भूखण्ड़ों में से 34 भूखण्ड़ अन्य वर्ग को आवंटित हो जाने के कारण अनुसूचित जन जाति वर्ग को 34 भूखण्ड़ कम प्राप्त हुए हैं। अतः राजीव गांधी नगर योजना में उपलब्ध भूखण्ड़ों में से 34 भूखण्ड़ अनुसूचित जन जाति वर्ग के लिए आरक्षित कर केवल अनुसूचित जन जाति वर्ग को ही नीलामी की जाने हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। नीलामी हेतु आरक्षित दर उस श्रेणी के भूखण्ड़ हेतु पूर्व में नियत आरक्षित दर को ही न्यूनतम दर माना जाना भी प्रस्तावित है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि अनुसूचित जन जाति वर्ग हेतु आरक्षित भूखण्डों का अनुसूचित जन जाति वर्ग को ही नीलामी द्वारा आवंटन किया जावेगा। नीलामी हेतु न्यूनतम बोली योजना की तत्समय नियत श्रेणीवार भूखण्ड़ों की आरक्षित दर के समतुल्य ही रहेगी। अनुसूचित जन जाति के भूखण्ड़ों का सहवन से अन्य श्रेणी को उनके आवेदन में हुयी त्रुटि के कारण आवंटन होने से पुनर्विचार कर आवंटन निरस्त किये जाने की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या 12 :: प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारियों पर चर्चा।

प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारियों के संबंध में राज्य स्तर पर दिनांक 25 फरवरी, 2011 एवं दिनांक 12 मार्च, 2011 को बैठकें आयोजित की गयी है। अभियान अवधि के दौरान जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का मुख्य कार्य 90–बी नियमन का रहता है। 90–बी नियमन के तहत 17 जून, 1999 से पूर्व कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनी के नियमन का कार्य महत्वपूर्ण रहता है। प्राधिकरण क्षेत्र में कृषि भूमि नियमन के संबंध में निम्नांकित व्यवहारिक कठिनाईयां आ रही है:–

कं0सं0	समस्या	संभावित समाधान
1–	कुछ कृषि भूमि के ले–आऊट प्लान का खसरा मेप पर सुपर इम्पोजिशन करने पर यह पाया जाता है कि ले–आऊट प्लान खातेदार के खसरे से अधिक भूमि पर बना हुआ है। अधिक भूमि राजकीय, डोली आदि अन्य व्यक्तियों की खातेदारी की भूमि है। वास्तविक रूप में खसरे में अवस्थित व्यक्तियों को पट्टे जारी करने के संबंध में असमजस्यता की स्थिति बनी हुई है।	ले–आऊट प्लान में आने वाली राजकीय भूमि की राशि वसूल की जावे। इसमें यदि कॉलोनी किसी कॉलोनाईजर द्वारा बसायी गयी है तो उससे आवासीय डी.एल.सी. दर या आरक्षित दर जो भी अधिक हो की दर से राशि वसूल कर भूमि उसे आवंटित कर दी जावे। जहां अलग अलग भूखण्डधारी है, वहां भूखण्डों के आकार के अनुसार आवासीय डी.एल.सी. दर अथवा आवासीय आरक्षित दर जो भी अधिक हो, की दर से राशि वसूल कर भूखण्डों का नियमन किया जावे। यदि भूमि डोली की हो तो राशि देवस्थान विभाग में जमा करवायी जावे। अन्य खातेदारी की भूमि हो तो संबंधित खातेदार की सहमति ली जावे।
2–	प्राधिकरण क्षेत्र में अनेक आवासीय कॉलोनियां ऐसी हैं जिनमें कुछ व्यक्तियों को अतिरिक्त कलक्टर भूमि रूपान्तरण, उपखण्ड अधिकारी भूमि रूपान्तरण अथवा नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा एकल पट्टे	निजी सर्वेयर से सर्वे करवाकर ले–आऊट प्लान बनाया जावे। मौके की स्थिति के अनुसार ले–आऊट प्लान पारित कर चैनल–दस्तावेज का मिलानकर पट्टे जारी किये जावे। सर्वे कराये जाने के कम में राज्य सरकार स्तर पर सर्वेयर के सूचीकरण

	जारी किये गये हैं। इन आवासीय कॉलोनियों के कोई पूर्ण ले–आऊट प्लान नहीं बने हुए है। कतिपय व्यक्तियों को पूर्व में एकल पट्टे जारी होने से ऐसे भूखण्ड/आवास स्वामी द्वारा पट्टे की मांग की जा रही है जबकि ले–आऊट प्लान उपलब्ध नहीं होने से उन्हें पट्टे दिया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।	(एम्पलेमेंट) की कार्यवाही प्रकियाधीन है। सूची को शीघ्र अन्तिम रूप देकर प्राधिकरण को सूचित किया जाना अपेक्षित है जिससे सर्वे कार्य प्रारम्भ करवाया जा सके।
3–	अधिकांश प्रकरणों में आंशिक ले–आऊट प्लान प्रस्तुत किये गये हैं तथा उसी के आधार पर पट्टे जारी किये गये हैं।	खसरे के अवशेष क्षेत्र का ले–आऊट प्लान सर्वेयर की सूची अन्तिम होने के पश्चात् सर्वे कर बनवाया जा सकेगा।
4–	कुछ ग्रामों में राजस्व अभिलेखों में तरमीम की कार्यवाही सम्पादित नहीं होने से सुपर इम्पोजिशन की कार्यवाही संभव नहीं हो पा रही है।	इस हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में पदस्थापित तहसीलदारों को तरमीम की शक्तियां दी जावे।
5–	गत प्रशासन शहरों के संग अभियान 2010 में दिनांक 17 जून, 1999 से पूर्व कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों में आवासीय से भिन्न भू–उपयोग होने पर आवासीय भू–उपयोग परिवर्तन हेतु अधिकारिता स्थानीय स्तर पर दी गयी थी जिसे माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित जनहित याचिका श्री गुलाब कोठारी बनाम राज्य व अन्य में दिये गये निर्देश को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यायोजित किया जाना उचित रहेगा।	माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित जनहित याचिका श्री गुलाब कोठारी बनाम राज्य व अन्य में परिधि नियंत्रण पट्टी व इकोलोजिकल बैल्ट को छोड़कर अन्य भू–उपयोग परिवर्तन की शक्तियां प्रशासन शहरों के संग अभियान 2010 की तरह स्थानीय स्तर पर प्रत्यायोजित किया जाना उपयुक्त रहेगा।
6–	कुछ कृषि भूमि पर 10 प्रतिशत से न्यून बसावट होने के बावजूद भी ले–आऊट प्लान स्वीकृत कर एकल पट्टा जारी किये गये हैं। नियमानुसार दिनांक 17 जून, 1999 से पूर्व बसी हुई आवासीय कॉलोनियों में निर्मित क्षेत्रफल न्यूनतम 10 प्रतिशत होना चाहिए जबकि अवशेष भूखण्डधारियों द्वारा इन कॉलोनियों में नियमन कर पट्टे जारी किये जाने की मांग की जा रही है।	दिनांक 17 जून, 1999 से पहले की जिन आवासीय कॉलोनियों में पूर्व में पट्टे जारी किये जा चुके हैं, उनमें न्यूनतम 10 प्रतिशत बसावट की शर्त हटायी जावे।
7–	90–बी में पट्टा जारी होने से पूर्व ही मकान निर्माण कर लिया जाता है जिसमें सेट बैक्स का ध्यान नहीं रखा जाता है। निर्माण शास्ती अभी तक न्यास के प्रस्ताव के अनुसार रूपये 2000/– वसूल किये जाते हैं जबकि सेट बैक कवरेज की शास्ती अधिक होती है। इससे एक तो सेट बैक	यदि पट्टा जारी होने से पूर्व भवन निर्मित है तो नियमन मांग सीमा तक साधारण दर एवं नियमन योग्य सीमा से बाहर दुगनी दर से राशि वसूल की जानी प्रस्तावित है।

(129)

	नहीं छूटे होते हैं दूसरी तरफ शास्ती भी कम जमा होती है।	
8–	दिनांक 17 जून, 1999 से पूर्व अतिरिक्त कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, भूमि रूपान्तरण द्वारा दिनांक 17 जून, 1999 से पूर्व भूमि रूपान्तरण कर एकल पट्टे जारी किए थे। नगर विकास न्यास ने भी 90–बी के तहत एकल पट्टे जारी किए गये थे। इन खसरों में अभी भी कुछ भूखण्डधारी संपूर्ण खसरे (योजना) का ले–आऊट प्लान पेश करने में असमर्थता प्रकट करता है।	मौके का सर्वे करने के पश्चात् ले–आऊट प्लान पारित करने के पश्चात् ही पट्टे जारी हो सकते हैं।
9–	दिनांक 17 जून, 1999 के पश्चात् की कॉलोनियों में भी टाऊनशिप पॉलिसी के निर्धारित मानदण्ड 60:40 का अनुपात नहीं होने के कारण इन कॉलोनियों के ले–आऊट प्लान पारित नहीं है। इन कॉलोनियों में न्यास के समय 90–बी के तहत एकल पट्टे जारी किए हुए हैं तथा कुछ भूखण्डों पर निर्माण भी है। आवासीय क्षेत्रफल 60 प्रतिशत से अधिक होने के कारण ले–आऊट प्लान पारित नहीं हो रहे हैं। अतः नियमन नहीं हो पा रहे हैं।	दिनांक 17 जून, 1999 के पश्चात् की कॉलोनियां जो बस चुकी है और जिसमें न्यूनतम 50 प्रतिशत मकान बन चुके हैं उनमें दिनांक 9 सितम्बर, 2008 (प्राधिकरण गठन की दिनांक) तक बसी कॉलोनियों के लिए छूट प्रदान की जावे। साथ ही इसमें बसावट के क्षेत्रफल की शर्त भी दिनांक 17 जून, 1999 से पूर्व की कॉलोनियों के अनुसार रखी जावे।
10–	ऐसे खसरे जो परिधि नियंत्रण क्षेत्र (ग्रीन बैल्ट) में है किन्तु काश्तकार द्वारा भूखण्डों के पंजीकृत विलेख विभिन्न व्यक्तियों को करवा दिए हैं। कुछ लोगों ने न्यास के समय एक भूखण्डों का भू–उपयोग परिवर्तन करवाकर पट्टे भी प्राप्त कर लिए हैं किन्तु अधिकांश भूखण्डों के पट्टा विलेख जारी नहीं हुए हैं। भू–उपयोग परिवर्तन नहीं होने के कारण इन खसरों की 90–बी भी नहीं हुई है न ही ले–आऊट पारित हुए हैं। एकल भूखण्डधारी होने के कारण संपूर्ण खसरे का भू–उपयोग परिवर्तन कराने में असमर्थ रहते हैं। अतः नियमन नहीं किया जा रहा है। यह समस्या दिनांक 17 जून, 1999 से पूर्व एवं पश्चात् दोनों ही तरह के प्रावधान में आ रही है।	जिस प्रकार अकृषि कार्य हेतु उपयोग ली गयी कृषि भूमि की धारा 90–बी (1) के अनुसार स्वप्रेरणा से 90–बी करने का अधिकार है उसी प्रकार परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में बसी आवासीय कॉलोनियों का चाहे वह दिनांक 17 जून, 1999 से पूर्व की हो पश्चात् की कॉलोनियों में यदि 50 प्रतिशत से अधिक भवनों का निर्माण हो चुका है तो उनमें स्वप्रेरणा से भू–उपयोग परिवर्तन की अधिकारिता कार्यकारी समिति को दी जावे।
11–	प्राधिकरण कार्यालय द्वारा ले–आऊट प्लान में 70 प्रतिशत से अधिक आवासीय क्षेत्रफल के संबंध में प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये गये	दिनांक 17 जून, 1999 से पूर्व की बसी कॉलोनियों में आवासीय क्षेत्रफल 70 प्रतिशत से अधिक होने पर राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का प्रावधान है। दिनांक 17 जून,

	जिसमें राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17 जून, 1999 से पूर्व कृषि भूमि पर बसी योजनाऐं/कॉलोनियां जिनमें दिनांक 20 अक्टूबर, 1999 से पूर्व 50 प्रतिशत से अधिक भूखण्डों पर निर्माण हो चुका है व आवासीय क्षेत्रफल 70 प्रतिशत से अधिक के नियमन मानदण्डों में शिथिलता दिये जाने हेतु चैक लिस्ट प्राप्त हुई जिसमें परिपत्र कमांक प. 5 (3) नविवि/ 3/ 99 दिनांक 6 सितम्बर, 2007 में 75:25 अर्थात् 75 प्रतिशत तक अधिकतम विकय योग्य क्षेत्रफल के निर्देश है। कृषि भूमि पर बसी हुई आवासीय कॉलोनियों के नियमन हेतु सामान्य पैरामीटर में शिथिलन हेतु नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक प.5 (3) नविवि/3/1999 जयपुर दिनांक 29 अप्रैल, 2008 के अनुसार उपरोक्त पत्र दिनांक 6 सितम्बर, 2007 के संदर्भ में 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत आवासीय क्षेत्रफल में शिथिलन /मापदण्ड में छूट उन आवासीय कॉलोनियों में देय होगी जिनमें 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक निर्माण नियमन के समय विद्यमान हो। 10 प्रतिशत से कम निर्माण के प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने के निर्देश है। अतः दिनांक 20 अक्टूबर, 1990 से पूर्व 50 प्रतिशत निर्माण में शिथिलता दी हुई है तदानुसार ही 70 प्रतिशत से अधिक आवासीय क्षेत्रफल की स्वीकृति प्रदान करावें।	1999 से पूर्व की अधिकांश कॉलोनियों में आवासीय क्षेत्रफल 70 प्रतिशत से अधिक है। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने में देरी होती है। अतः दिनांक 17 जून, 1999 से पूर्व की कॉलोनियों में 80 प्रतिशत आवासीय क्षेत्रफल तक के नियमन की अधिकारिता प्राधिकरण को प्रदान की जावे।
12–	कुछ प्रकरणों में (यथा बासनी औद्योगिक क्षेत्र के मध्य अवाप्ति से मुक्त कुछ भूमि) आसपास के निकवटर्ती भूमि धारा 90–बी तथा अन्य प्रावधानों के तहत रूपान्तरित की जाकर पट्टे जारी कर दिये गये किन्तु मध्यवर्ती कुछ भूमि में टुकडे अनियोजित रूप से अवशेष रह गये हैं। उक्त टुकडों का पृथक से कोई ले–आऊट प्लान बनाया जाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है न ही किसी एकीकृत ले–आऊट प्लान का यह भी भाग हो सकता है। अतः परिस्थितियों में उक्त भूमि नियोजन के अन्य मापदण्ड यथा 40:60 का	ऐसे प्रकरणों में मौके की स्थिति अनुसार भूखण्डवार एकल पट्टा जारी करने की अनुमति दी जानी अपेक्षित है।

131

	अनुपात, सडक की चौडाई भी पूरी नहीं कर पाते हैं जबकि मौके पर सडके, मकान आदि बनाकर उक्त कॉलोनियां विकसित हो चुकी है।	
13–	दिनांक 17 जून, 1999 से पूर्व कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनी का सर्वे स्वतः करवाया जाना।	राज्य स्तर पर सर्वेयर का सूचीकरण किया जा रहा है। सूचीकरण शीघ्र करवाये जाने हेतु निवेदन किया जाना अपेक्षित है जिससे यथा समय सर्वे कर ले–आऊट प्लान अनुमोदित किया जा सके। स्थानीय स्तर पर भी निविदाएं जारी की जा सकती है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान दिनांक 17 जून, 1999 को कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों के नियमन में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के संबंध में राज्य सरकार से पत्राचार किया जावे। 70 प्रतिशत से अधिक आवासीय क्षेत्र वाली कॉलोनियों/ योजनाओं में शिथिलता हेतु उप नगर नियोजक को नगरीय विकास विभाग को भिजवाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 13 :: प्रशासन गांवों के संग अभियान में भूमि आवंटन की पुष्टि।

नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश कमांक प. 3/1192/ नविवि/3/ 2010 दिनांक 9 नवम्बर, 2010 के तहत आयोजित शिविरों में नगरीय क्षेत्रों/ सीमा में आने वाले ग्रामों में सरकारी संस्थाओं के लिए भूमि आवंटन करने एवं ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार के लिए भूमि आवंटन के निर्देश दिये गये थे।

भूमि आवंटन करने की दृष्टि से गठित आवंटन समिति की बैठक दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 को आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न शिविरों के दौरान ग्राम पंचायतों व शिविर प्रभारियों एवं ग्राम पंचायत की ओर से राजकीय विद्यालय, आंगनवाडी केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, पटवार भवन पंचायत भवन आदि संस्थाओं के निर्माण के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया जाकर प्राप्त प्रस्ताव अनुसार भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। जिनका विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

ग्राम पंचायतों को आबादी विस्तार हेतु अभी भूमि आवंटन का निर्णय नहीं लिया गया है। विद्युत सब स्टेशन हेतु आवंटित भूमियों के प्रकरणों में आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि लिये जाने का प्रावधान है। अतः विद्युत कम्पनियों को भूमि आवंटन सशुल्क किया जाना है।

अतः प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष समिति द्वारा किये गये आवंटन के निर्णयों की पुष्टि हेतु प्रस्तुत हुआ। बाद विचार विमर्श राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में विभिन्न राजकीय विभागों को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ किये गये आवंटनों की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या 14 :: पावटा सी रोड की चौडाई निर्धारण पर चर्चा

पावटा सी रोड़ की चौडाई बाबत प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 21 अक्टूबर, 2010 के प्रस्ताव संख्या 20 पर चर्चा की गयी थी एवं बताया गया था कि निवासियों द्वारा पावटा सी रोड का मार्गाधिकार 100 फीट से 80 फीट किये जाने की मांग की जाती रही है।

(132)

अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में इस सड़क का विस्तृत सर्वे करने के निर्देश दिये गये तथा कहा गया था कि सर्वे के दौरान यह अंकित किया जावे कि किन–किन क्षेत्रों में वर्तमान में सडक की चौडाई 100 फीट एवं 80 फीट है तथा इससे कम है। 80 फीट एवं 100 फीट के मध्य आने वाले किन व्यक्तियों को पट्टे जारी किये गये हैं एवं किन–किन व्यक्तियों को पूर्व में मुआवजा दिया गया है।

अतः उपरोक्त निर्णय की कियान्विती के संबंध मे पावटा सी रोड का विस्तृत टोटल स्टेशन सर्वे करवाया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 से श्री विकमसिंह के मकान तक 80 फीट, श्री विकमसिंह के मकान से अशोका ओडिटोरियम तक 92 फीट, अशोका ओडिटोरियम से रेलवे लाईन तक 60 फीट औसतन चौडाई उपलब्ध होती है। आर.टी.ओ. ऑफिस से जोधपुर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 तक आर.ओ.बी. निर्मित किया जाना भी प्रस्तावित है।

मास्टर वर्ष 1976–96 में पावटा सी रोड का मार्गाधिकार 120 – 160 फीट बताया गया था परन्तु सेक्टर प्लान में इस सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट निर्धारित किया गया था तत्पश्चात् दिनांक 23 सितम्बर, 2002 को तत्कालीन जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, जोधपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में पावटा सी रोड की चौडाई 80 फीट निर्धारित करने के उपरान्त जिन व्यक्तियों की भूमि 80 फीट के दायरे में आ रही थी उन्हें मुआवजा देने का निर्णय लिया गया था तथा मुआवजा निर्धारण हेतु गठित समिति की राय अनुसार उस वक्त 80 फीट सडक सीमा में भूमिधारी लोगों को 182.67 लाख रूपये का मुआवजा दिया गया था। 80 से 100 फीट सड़क निर्धारण एवं इसके मध्य खातेदारी भूमि/ निजी स्वामित्व की भूमि के संबंध में मुआवजे बाबत विनिश्चयन हेतु राज्य सरकार को प्रकरण प्रेषित किये जाने बाबत दिनांक 3 मार्च, 2007 को जिला कलक्टर, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया था। प्रकरण में अन्तिम रूप से निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

अतः प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति विनिश्चय किया गया कि जोधपुर – जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय तक सड़क की चौडाई 100 फीट रखी जावे क्योंकि इस क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज निर्मित किया जाना है। सड़क की चौड़ाई में आने वाली दुकाने/मकान को प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय के समीपस्थ प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि का व्यवस्थित रूप से प्लान बनाकर बतौर मुआवजा परीक्षण कर आवंटित किये जाने का विकल्प रखा जा सकता है। इस हेतु सड़क की चौडाई में आने वाले निर्माण, उनके स्वामित्व का विस्तृत विवरण संकलित किया जावे एवं प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय के पास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि का प्लान बनाया जावे जिससे यह आंकलन लगाया जा सके कि कितने व्यक्तियों को बतौर मुआवजा इस स्थान पर भूमि आवंटित की जा सकती है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय से जोधपुर – नागौर राष्ट्रीय राजमार्ग तक सड़क की चौडाई 80 फीट रखे जाने का विनिश्चयन किया गया। इस हेतु विस्तृत विवरण अंकित करते हुए मास्टर प्लान में संशोधन हेतु राज्य सरकार से पत्राचार किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 15 :: **पाल एवं पाली रोड़ की सडक सीमा में से हटाये गये निर्माण/ अवरोधों को हटाये जाने के कम में मुआवजा निर्धारण करने के संबंध में चर्चा**

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा जनहित याचिका संख्या 6073/93 में दिये गये निर्णय आदेश दिनांक 19.02.07 जो इस प्रकार है :– **All the encroachments on Pal Road to keep the width of the road not less than 200 ft. must be positively removed within a period of three months.** आदेश जारी किया गया इसके अनुसार नगर विकास न्यास की भू–आवंटन समिति की बैठक दिनांक 04.12.07 को आयोजित की गई जिसमें न्यास के सचिव द्वारा यह अवगत करवाया गया कि आर.एस.आर.डी.सी. के अधिकारियों द्वारा पाल–पाली रोड़ को चौड़ी करने हेतु भी निवेदन किया गया इस पर समिति द्वारा प्रभावित लोगों

(133)

को सुनकर सचिव महोदय को मुआवजा देने के लिये अधिग्रहित किया गया। समिति का यह निर्णय न्यास के प्रावधानों के विपरित था क्यों कि अभी तक तत्समय तक मौका जांच व स्थान का अंकन भी नहीं किया गया था बिना अंकन किये न्यास द्वारा विधि विरूद्व कब्जों को भी प्रभावित मानते हुये मुआवजा देने का निर्णय लिया गया था। इस बाबत श्रीमान् को पूर्व में पत्र क्रमांक 67 दिनांक 07.01.09 द्वारा अवगत कराया जा चुका है।

माननीय न्यायालय के निर्णय आदेश दिनांक 19.02.07 की पालना में तत्कालीन न्यास द्वारा दिनांक 05.01.08 को एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का विवरण भी लिखित किया गया बैठक के विवरण अनुसार आर.एस.आर.डी.सी. के अधिकारियों व सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशाषी अभियन्ता के पत्रांक 144 दिनांक 02.11.07 व पत्रांक 148 दिनांक 02.01.08 के द्वारा उक्त मार्गो पर स्थित बाधाओं/अतिक्रमणों/अवैध निर्माणों को हटाने का निवेदन किया गया चुंकि माननीय न्यायालय के निर्णय व मास्टर प्लान मद्देनजर रखते हुये प्रथम चरण में सड़क को मध्य से 75 फीट चौड़ी किया जाना अपेक्षित था क्यों कि यह रोड़े चेनेज नगरीय सीमा के भीतर आती है इसलिये इस कार्य के निष्पादन की पूर्ण जिम्मेदारी तत्कालीन नगर विकास न्यास की बताई गई। बैठक कार्यवाही दिनांक 05.01.08 की प्रति संलग्न है। उपरोक्त बैठक के अनुसार दोनों रोड़ो को चौड़ी करने से पूर्व कानूनी प्रावधानों के अनुसार सभी प्रभावित व्यक्तियों को सक्षम अधिकारी नगर सुधार न्याय द्वारा नोटिस व स्थानीय समाचार पत्रों में सूचना जारी किये गये। जिसका विवरण पूर्व में पत्र दिनांक 23.01.10 में भिजवाया जा चुका है।

पाल–पाली रोड़ क्रमशः राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 व 65 है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मास्टर प्लान वर्ष 1971–96 व वर्ष 2001–2023 में इन सड़कों को आरटेरियल सड़को की श्रेणी में रखते हुये मार्गाधिकार 160 – 200 फीट निर्धारित किया गया है। इंडियन रोड़ काग्रेंस के प्रावधानों में टेबल संख्या 4.4 जिसमें शहरी रोड़ो का वर्गीकरण दर्शाया गया है। इसके अनुसार बिल्डिंग लाईन के मध्य कम से कम 80 मीटर की दूरी होना आवश्यक है तथा आरटेरियल रोड़ हेतु वाहन क्षमता को देखते हुये 50–60 मीटर चौड़ी होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में पाल रोड़ पर बाहरवीं रोड़ (एमडीएम चौराया) से बोरानाडा ग्राम की सड़क के दोनों ओर से अतिक्रमण हटाये गये। पाली रोड़ पर रिक्तिया भैरूजी चौराया से शताब्दी चौराहे तक अतिक्रमण हटाये गये ये सभी अतिक्रमण मौके पर स्थित डामर सड़क के मध्य से 75 फीट सीमा में आने वाले व पाली रोड़ पर रिक्तिया भैरूजी चौराहे से पीली टंकी तक मध्य से 60 फीट दूरी निर्धारित कर जनहित को ध्यान में रखते हुये प्रथम चरण में अतिक्रमण हटाये गये। इस बाबत सम्पूर्ण जानकारी श्रीमान् को पत्र दिनांक 23.01.2010 के द्वारा अवगत कराई जा चुकी है।

न्यास की भू–आवंटन समिति के प्रस्ताव निर्णय के निर्णय दिनांक 04.12.07 के आधार पर प्रभावित व्यक्तियों द्वारा वास्ते मुआवजा प्रार्थना पत्र पेश किये गये। जब कि मुआवजे के आंकलन से सम्बन्धित अतिक्रमण हटाने से पूर्व भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया व न्यास अधिनियम 1959 की धारा 51 के तहत कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। प्राप्त प्रार्थना पत्रों में पाल रोड़ के 209 व पाली रोड़ के 36 व्यक्तियों द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किये गये। उपरोक्त प्रार्थना पत्रों में से न्यास द्वारा रिको की शिल्पग्राम योजना से सम्बन्धित 22 भूखण्डधारियों को राशि रूपयें 11,63,365/– का भुगतान कर दिया गया जिसकी सूचना पूर्व में श्रीमान् को पत्र दिनांक 07.01.09 द्वारा भिजवाई जा चुकी है। शेष प्रकरणों की जांच तत्कालीन सचित महोदय द्वारा न्यास के अभियन्ताओं व तहसीलदार द्वारा करवाई गई की गई मौका जांच में मुख्यतः निम्न प्रकार के प्रकरण पाये गये हैः–

1. कुल 16 प्रकरण ऐसे है जिसमें मौका जांच अनुसार अतिक्रमण नहीं हटाया/मौका स्थिति भिन्न/सरकारी भूमि पर कब्जा था।
2. कुल 20 प्रकरण ऐसे है जिसमें तत्कालीन नगर सुधार न्यास द्वारा 16 गांव राजस्व योजना व अन्य प्रकार से पट्टे जारी किये गये है।

(134)

3. कुल 08 प्रकरण ऐसे है जिसमें पंचायत द्वारा खातेदारी भूमि पर पट्टे जारी किये गये।
4. कुल 33 प्रकरण ऐसे है जिसमें पंचायत/भूमि रूपान्तरण अधिकारी द्वारा बिना सड़क सीमा को ध्यान में रखते हुये पट्टे जारी किये गये।
5. कुल 54 प्रकरण ऐसे है जिसमें रिको द्वारा शिल्पग्राम योजना के तहत बिना सड़क सीमा/मास्टर प्लान ध्यान में रखते हुये लीजडीड जारी किये गये।
6. कुल 22 प्रकरण ऐसे है जिसमें ग्राम पंचायत पाल द्वारा गैर मुमकिन आगोर श्रेणी की भूमि पर पट्टे जारी किये गये।
7. कुल 49 प्रकरण ऐसे है जिसमें भूमि की श्रेणी कृषि भूमि है तथा जिस पर निर्माण व अन्य गतिविधिया पाई गई।
8. कुल 21 प्रकरण ऐसे है जिसमें प्रार्थना पत्रों के अलावा प्रार्थयो द्वारा बावजुद सूचना के कोई सबूत साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये गये।

उपरोक्त प्रकार के प्रकरणों में मुआवजा सम्बन्धी आ रही कठिनाईयों बाबत श्रीमान् को पत्र दिनांक 07.01.09 व 23.01.10 के द्वारा मय पूर्ण विवरण मार्गदर्शन चाहा गया जो आज दिनांक तक अप्राप्त है।

प्रांसगिक पत्र दिनांक 25.05.10 की पालना में मुआवजा निर्धारण हेतु पुनः गठित समिति की बैठक दिनांक 15.02.11 को आयोजित की गई। गठित समिति द्वारा पूर्व के पत्रांको व प्रकरणों की पत्रावलियों का पूर्ण रूप से अवलोकन किया गया तथा निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श किया गया :–

1– **क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 व 112 की सड़क सीमा से हटाये गये अतिक्रमणों की एवज में मुआवजा न्यास द्वारा दिया जाना उचित है या नहीं यदि नहीं तो किसके द्वारा मुआवजा दिया जा सकता है** :– इस बिन्दु पर समिति द्वारा विचार किया गया कि उक्त दोनो रोड़े घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 व 112 जिसका पूर्ण स्वामित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग का है केवल नगरीय सीमा मे स्थित राजमार्गो की देखरेख नियमानुसार नगरीय निकायों द्वारा की जाती है। उक्त दोनो मार्गो की देखरेख के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तत्कालीन जोधपुर विकास न्यास को वास्ते देखरेख हस्तान्तरित की गई थी। जिसका विवरण दोनो के मध्य हस्तान्तरण फर्दो में देखा जा सकता है। चूंकि दोनो मुख्य मार्गो को चौड़ा तत्कालीन यू.आई.टी. द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.02.07 की पालना में व राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशाषी अभियन्ता के पत्र दिनांक 20.11.07 व 02.01.08 के अनुसार दोनो रोड़ो को चेनेज नगरीय सीमा में होने से कार्य निष्पादन की जिम्मेदारी तत्कालीन यू.आई.टी. की बताये जाने के कारण किया गया था। जिसका पूर्ण विवरण यूआईटी की बैठक दिनांक 05.01.08 में देखा जा सकता है । इसके अलावा दोनो रोड़े आरटेरियल श्रेणी की होने से व मास्टर प्लान 1971–1996 व 2001–2023 के अनुसार मार्गाधिकार 160–200 फीट रखना आवश्यक था। अतः ऐसी स्थिति में नियमानुसार न्यास द्वारा योग्य प्रकरणों में मुआवजा किसी भी प्रकार से दिया जाना उचित नहीं है। अब तक मुआवजा संबंधी कार्यवाही मात्र न्यास के प्रस्ताव संख्या 32 के अनुसार की जा रही थी जा सही नहीं क्यों कि न्यास का प्रस्ताव निर्णय स्वयं विधि के नियमों के प्रतिकूल थी। इसके अतिरिक्त भूमि अवाप्ति की धारा 4 व 6 के तहत किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई न ही न्यास अधिनियम 51 के तहत अधिग्रहण का निर्णय लिया गया था। ऐसी परिस्थितियों में न्यास द्वारा (जोधपुर विकास प्राधिकरण) मुआवजा दिया जाना उचित नहीं है जहां तक मुआवजा देने का प्रश्न है वह सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बाद अधिग्रहण की कार्यवाही योग्य प्रकरणों में दिया जा सकता है क्यों कि इन राजमार्गो का स्वामित्व सम्बन्धित विभाग का ही है न की जोधपुर विकास प्राधिकरण का।

2– **क्या पूर्व में रिको की शिल्पग्राम योजना के तहत 22 भूखण्डधारियों को दिया गया मुआवजा उचित है या नहीं** :– इस बिन्दु के संदर्भ में जा विचार समिति के द्वारा किया

(135)

गया है वो इस प्रकार है की पूर्व में यूआईटी द्वारा रिको की शिल्पग्राम योजना के तहत 22 भूखण्डधारियो को 11,63,365/– राशि का मुआवजा दिया गया है व नियमों के विरूद्व है क्यों कि रिको द्वारा यह योजना आवंटित की गई थी तथा तत्समय मास्टर प्लान के अनुसार पाल रोड़ की चौड़ाई 160–200 फीट निर्धारित थी रिको द्वारा अपने साईट प्लान का आवंटन से पूर्व तत्कालीन यूआईटी से अनुमोदन करवाया गया हो ऐसा कोई साक्ष्य इस कार्यालय में रिको द्वारा पेश नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में रिको के स्तर से रही गलती के लिये यूआईटी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। अतः पूर्व में भुगतान की गई राशि मय ब्याज जोधपुर विकास प्राधिकरण (तत्कालीन यूआईटी) को पुर्नभरण किया जाना अपेक्षित है तथा शिल्पग्राम योजना से संबधित अन्य प्रकरणों में भुगतान रिको द्वारा किया जाना अपेक्षित/उचित है।

3– **किन प्रकरणों में मुआवजा दिया जाना उचित नहीं है** :– इस बिन्दु के संबंध में समिति का निवेदन इस प्रकार है कि इन दोनो सड़को से सम्बन्धित प्राप्त प्रकरणों में 16 प्रकरण इस प्रकार के प्राप्त हुये है जिनकी मौका जांच व दस्तावेज के स्थल में भिन्नता देखी गई है तथा कुछ ऐसे भी प्रकरण प्राप्त हुये है जिनमें मौका रिपोर्ट अनुसार किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हटाने बाबत रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसके अलावा कुछ प्रकरणों में सरकारी भूमि व कब्जा हटाने के फलस्वरूप मुआवजा की मांग की गई है जो पूर्णतया गलत है। अतः इस प्रकार के प्रकरणों में प्रथम दृष्टिया जांच के अनुसार किसी प्रकार का मुआवजा दिया जाना उचित नहीं है।

कुल 20 प्रकरण ऐसे प्राप्त हुये है जिनमें तत्कालीन यूआईटी द्वारा 16 राजस्व गांव नियमन योजना व अन्य नियमन के तहत जारी किय गये है इन पट्टो में से अधिकांश पट्टो में इन मार्गो की चौड़ाई मध्य से 75 फुट दर्शाई गई है, लेकिन कुछ मामलों में लिपिकीय भूलवश इन्हें मुख्य मार्ग दर्शाकर मध्य से सड़क का नाप नहीं दर्शाया गया है। चूंकि प्रथम चरण में अधिकतम अतिक्रमण मध्य से 75 फुट मानकर हटाया गया है। जिन पट्टों में मध्य से 75 फुट दुरी नहीं दर्शाई गई है उसके लिये यूआईटी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है क्यों कि यदि किसी लिपिकीय भूलवश सही नाप नहीं दर्शाने पर भूखण्डधारी द्वारा निर्माण बिना अनुमति के करवाया जाता है तो जिम्मेदारी भूखण्डधारी की ही बनती है यदि भूखण्डधारी निर्माण अनुमति के यूआईटी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करता तो सड़क के मध्य के दुरी को सही दर्शाकर ही निर्माण अनुमति जारी की जाती ऐसी स्थिति में जिन पट्टो में इन सड़को को मुख्य मार्ग बताया गया है और भूखण्डधारियों द्वारा मुआवजे की मांग की गई है उसे स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है इस प्रकार यूआईटी द्वारा जारी किये गये इस योजना के अन्तर्गत पट्टों के भूखण्डधारियों को मुआवजा दिया जाना उचित नहीं है।

कुल 33 प्रकार के ऐसे प्रकरण भी प्राप्त हुये है जिसमें पंचायत/भूमि रूपान्तरण अधिकारी द्वारा पट्टो में इन मार्गो की सीमा स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाई गई है जब कि पट्टा जारी करने वाले सभी प्राधिकृत अधिकारियों का यह प्रथम दायित्व होता है कि सड़क के नजदीक स्थित भूखण्डों का पट्टा जारी करने से पूर्व पूर्ण सड़को की श्रेणी का ध्यान रखकर सड़क की सीमा पट्टे में निर्धारित की जानी चाहिये लेकिन प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इस प्रकार का कार्य नहीं किया गया जिसके लिये सरकार या यूआईटी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अतः ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टतया मुआवजा दिया जाना उचित नहीं है फिर भी इन प्रकरणों के संबध में अधिग्रहण की कार्यवाही में विचार किया जा सकता है।

कुल 8 प्रकरण ऐसे भी प्राप्त हुये जिसमें ग्राम पंचायतों द्वारा खातेदारी की भूमि पर पट्टे जारी किये गये है जिसके लिये वह सक्षम नहीं है तथा प्रार्थीयों द्वारा आवासीय भूमि का मुआवजा चाहा गया है जो दिया जाना उचित नहीं है लेकिन कृषि भूमि के बारे में विचार अधिग्रहण की कार्यवाही में किया जा सकता है।

कुल 22 प्रकरण इस प्रकार के प्राप्त हुये है जिसमें ग्राम पंचायत पाल द्वारा गैर मुमकिन आगोर की भूमि पर पट्टे जारी किये गये है जिसे जारी करने में पंचायत सक्षम नहीं है इस

बाबत जांच भी करवाई गई ग्राम पंचायत पाल द्वारा जरिये विकास अधिकारी लूणी द्वारा दिनांक 17.02.11 को जवाब भिजवाया गया है जिसके अनुसार इस प्रकार के पट्टो का कोई रिकार्ड संधारण होना नहीं पाया गया है। ऐसी स्थिति में पट्टे संदिग्ध श्रेणी के माने जा सकते है तथा नियमानुसार चेलेन्ज करने की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.04 में यह निर्धारित किया गया कि 15.08.1947 के पश्चात् जल प्रवाह क्षेत्र पर किये गये सभी रूपान्तरण अवैध माने जाये तथा उन्हें की पूर्व की स्थिति में बहाल किये जाये चूंकि गैर मुमकिन आगोर की भूमि भी जल प्रवाह क्षेत्र की भूमि की श्रेणी में आती है अतः ऐसी स्थिति में यदि मुआवजा दिया जाता है तो न्यायालय की अवमानना व गलत धारणा साबित होगी।

इसके अतिरिक्त प्राप्त प्रकरणों मे कुल 49 प्रकरण कृषि भूमि से सम्बन्धित प्रकरण प्राप्त हुये है जिन पर बिना अनुमति के निर्माण व उपयोग किया जा रहा था। ऐसे प्रकरणों में केवल मात्र कृषि भूमि के मुआवजे पर गौर बाद अधिग्रहण कार्यवाही किया जा सकता है। उपरोक्त प्रकरणों में लगभग अधिकांश प्रकरणों में नगरीय क्षेत्र भवन विनियम 2001 के तहत भवन निर्माण की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की गई थी। ऐसे प्रकरणों में निर्माण संबंधी मुआवजा दिया जाना उचित नहीं है।

वस्तुतः पाल पाली रोड़ पर सड़क सीमा में किये गये निर्माण/ अतिक्रमण को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों एवं सार्वजनिक मार्गाधिकार दुरूस्त किये जाने के क्रम में हटाये गये थे। इन सड़कों का स्वामित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग का है। अतः गठित समिति की राय में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मुआवजा दिया जाना उचित नहीं हैं।

अतः प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पाल व पाली रोड़ का स्वामित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग का होने से हटाये गये निर्माणों/अतिक्रमणों का मुआवजा देने या नहीं देने का विनिश्चयन सार्वजनिक निर्माण विभाग को करना है। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इन मार्गों को विकसित किया गया है एवं माननीय न्यायालय के निर्देश की अनुपालना में सड़क सीमा में आये हुए अतिक्रमणों को हटाया गया। समस्त प्रकरण का विस्तृत विवरण अंकित करते हुए प्रकरण मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 16 :: विभिन्न टाऊनशिपों में सम्मिलित राजकीय भूमियों के आवंटन के संबंध में चर्चा

1– वैशाली टाऊनशिपः– ग्राम पाल के खसरा संख्या 2, 3 व 7 तथा ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 715 व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 693, 694 व 695 की कुल 209–05 बीघा का ले–आऊट प्लान दिनांक 15 जून, 2005 को पारित किया गया जिसमें ग्राम चौखा के खसरा संख्या 692 की 4–05 बीघा (8228 वर्ग गज) राजकीय भूमि तथा ग्राम पाल व गंगाणा की सरहद का वेरियशन की 4–14 बीघा (9099 वर्ग गज) व अन्य खातेदार की ग्राम पाल के खसरा संख्या 1 की 2–03 बीघा (4162 वर्ग गज) भूमि सम्मिलित कर दी गयी।

सम्मिलित राजकीय भूमियों का टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत आवंटन एवं अभिलेखों में दर्ज होने से अवशेष भूमियों के संबंध में कार्यवाही हेतु भू–प्रबन्ध विभाग को लिखे जाने के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा खसरा संख्या 692 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि किस्म गैर मुमकिन गौवा की भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने के संबंध में जिला कलक्टर, जोधपुर को पूर्व में लिखा जा चुका है। ग्राम पंचायत चौखा द्वारा भी इस भूमि को हस्तान्तरित किये जाने

(137)

हेतु अनापत्ति पत्र दिया गया है। आवेदक द्वारा टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के अनुसार 10 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली निजी योजनाओं में टाऊनशिप के मध्य आ रही राजकीय भूमियां यथा सिवायचक, गैर मुमकिन रास्ता आदि को विकासकर्ता को आवंटित किये जाने के प्रावधान है। इसके बदले में विकासकर्ता द्वारा 60 प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने का भी प्रावधान है। योजना का ले–आऊट प्लान पूर्व में बनाया गया है। अतः वैशाली टाऊनशिप में सम्मिलित खसरा संख्या 692 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि किस्म गैर मुमकिन गौवा की भूमि जिला कलक्टर, जोधपुर हस्तान्तरित करें। राजकीय एवं अधिशेष भूमि आवंटित किये जाने एवम् अभिलेखों में दर्ज होने से शेष भूमि की दुरूस्ती करने हेतु भू–प्रबन्ध अधिकारी को लिखे जाने तथा 60 प्रतिशत विकसित भूखण्ड प्राप्त करने का विनिश्चयन किया। 60 प्रतिशत प्रस्तावित भूखण्ड का पत्रावली पर अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

3– मैसर्स प्रेस्टीज सिटी डवलपर्स प्रा.लि. की ग्राम मोगडा कलां में खसरा संख्या 141, 141/1, 142/2, 141/3, 178, 178/1, 178/2, 179/1, 179/2, 183, 184 खसरा संख्या 132 बीघा 9 बिस्वा का ले–आऊट प्लान वरिष्ठ नगर नियोजक के पत्र कमांक जेडीजेड 1621 दिनांक 20 नवम्बर, 2007 द्वारा अनुमोदित किया गया जिसमें नियम विरूद्ध रूप से खसरा संख्या 140 व 212 की 3 बीघा 7 बिस्वा जमीन गैर मुमकिन रास्ता शामिल कर दिया गया।

सम्मिलित राजकीय भूमियों के विरूद्ध 60 फीसदी विकसित भूखण्ड दिये जाने का प्रार्थना–पत्र विकासकर्ता द्वारा दिया गया है। टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत राजकीय भूमियां आवंटित किये जाने के संबंध में निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम मोगडा कलां की खसरा संख्या 140 व 212 की 3 बीघा 7 बिस्वा जमीन गैर मुमकिन रास्ता की भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने के संबंध में जिला कलक्टर, जोधपुर को पूर्व में लिखा जा चुका है। ग्राम पंचायत मोगड़ा कलां द्वारा भी इस भूमि को हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनापत्ति पत्र दिया गया है। आवेदक द्वारा टाऊनशिप पॉलिसी 2009 के प्रावधानों के अनुसार 10 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली निजी योजनाओं में टाऊनशिप के मध्य आ रही राजकीय भूमियां यथा सिवायचक, गैर मुमकिन रास्ता आदि को विकासकर्ता को आवंटित किये जाने के प्रावधान है। इसके बदले में विकासकर्ता द्वारा 60 प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने का भी प्रावधान है। योजना का ले–आऊट प्लान पूर्व में बनाया गया है। अतः टाऊनशिप में सम्मिलित खसरा संख्या 140 व 212 की 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि किस्म गैर मुमकिन रास्ता जिला कलक्टर, जोधपुर हस्तान्तरित करें। राजकीय भूमियॉ प्रेस्टीज टाऊनशिप को आवंटित किये जाने एवं 60 प्रतिशत विकसित भूखण्ड प्राप्त करने का विनिश्चयन किया गया। 60 प्रतिशत प्रस्तावित विकसित भूखण्ड का पत्रावली पर अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

4– राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 54, 11, 8, 12/1, 12, 56/1, 7, 56/2, 56/3/3, 4/1, 4, 6, 1/1, 4/2, 9, 54, 11, 13, 16, 19, 18, 12, 20, 23, 28, 53, 52, 28/1, 51, 49, 25/1, 25, 50/1, 50 पर अंसल टाऊनशिप योजना का ले–आऊट प्लान जरिये पत्र दिनांक 31 जनवरी, 2005, 3 फरवरी, 2006 एवं 13 मार्च, 2006 तथा संयुक्त रूप से दिनांक 22 अगस्त, 2007 को स्वीकृत किया गया। जिसमें खसरा संख्या 14, 15, 17, 18, 24, 26, 27, 10, 18/1, 21, 22 कुल रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा राजकीय भूमि अवस्थित है।

टाऊनशिप के मध्य अवस्थित राजकीय भूमियां ले–आऊट प्लान का भाग नहीं हैं किन्तु ले–आऊट प्लान अनुमोदन के समय उक्त भूमियां निर्धारित दर ली जाकर विकासकर्ता को ही आवंटित किये जाने का प्रावधान था। अब विकासकर्ता द्वारा नवीन टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत 60 प्रतिशत विकसित भूखण्ड दिये जाने का प्रार्थना–पत्र दिया गया है।

प्रकरण प्राधिकरण के टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की है। आवेदक द्वारा टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के अनुसार 10 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली निजी योजनाओं में टाऊनशिप के मध्य आ रही राजकीय भूमियां यथा सिवायचक, गैर मुमकिन रास्ता आदि को विकासकर्ता को आवंटित किये जाने के प्रावधान है। इसके बदले में विकासकर्ता द्वारा 60 प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने का भी प्रावधान है। योजना का ले–आऊट प्लान पूर्व में बनाया गया है। अतः टाऊनशिप में सम्मिलित खसरा संख्या 14, 15, 17, 18, 24, 26, 27, 10, 18/1, 21, 22 कुल रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा राजकीय भूमि अंसल टाऊनशिप को आवंटित किये जाने एवम् 60 प्रतिशत विकसित भूखण्ड़ प्राप्त किये जाने का विनिश्चयन किया गया, जिसका कि पत्रावली पर अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

प्रस्ताव संख्या 17 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण में 1.50 करोड रूपये से अधिक राशि के कार्यों की निविदाओं हेतु मानक निविदा प्रपत्र के अनुमोदन पर चर्चा

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में बडी परियोजनायें कियान्वित की जा रही है। इन परियोजनाओं की निविदा से बेचे जाने वाले निविदा प्रपत्र वर्तमान में उपलब्ध राज्य सरकार के प्रारूप का उपयोग में लिया जा रहा है। चूंकि राज्य सरकार के प्रारूप में संशोधन की आवश्यकता अधिक प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्राप्त करने के लिए महसूस की गई है तथा प्रस्तावित प्रपत्र में ज्वाईन्ट वेन्चर को भी सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही कार्यों की मरम्मत पॉच वर्षों तक सुनिश्चित करने के लिए संवेदक को निश्चित भुगतान देने की व्यवस्था भी की गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी टेण्डर डोक्यूमेन्ट में एम्प्लोयर, इन्जीनियर इत्यादि की व्याख्या जोधपुर विकास प्राधिकरण के अनुसार की गई है, क्योंकि राज्य सरकार के विभागों की संरचना व भुगतान प्रकिया जोधपुर विकास प्राधिकरण से भिन्न है।

प्रस्तावित प्रारूप MORTH व WORLD BANK के STANDARD BIDDING DOCUMENTS के अनुरूप है तथा राजस्थान की गई निर्माण एजेन्सियां जैसे RSRDC इत्यादि भी राज्य सरकार के प्रारूप के स्थान पर इस संशोधित प्रारूप को उपयोग में ले रहे हैं। इस प्रारूप को उपयोग में लेने से निविदा मे अच्छे निविदादाता सफल हुए हैं तथा कार्य करने में निविदा प्रपत्र एक उपयोगी दस्तावेज रहा है।

अतः 1.50 करोड से अधिक के कार्यों के लिए मानक निविदा प्रपत्र परिशिष्ट–2 तैयार कर प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

बाद विचार विमर्श निदेशक–वित्त को लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम व आर.पी. डबल्यू.ए–100 (एपेडिक्स II) के प्रावधानों के अन्तर्गत परीक्षण कर प्रपत्र जोधपुर विकास आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

प्रस्ताव संख्या 18 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा परामर्श कार्यों हेतु निविदा प्रपत्र विचारार्थ बाबत

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं के कियान्वयन हेतु विशेषज्ञ फर्मों से परामर्श का कार्य करवाया जाना आवश्यक है।

परामर्श कार्य हेतु नगरीय विकास विभाग के निर्देशानुसार गुणवत्ता नियन्त्रण प्रकिया के आधार पर निविदा प्रपत्र परिशिष्ट–3 तैयार कर प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

बाद विचार निर्णय लिया गया कि विमर्श निदेशक--वित्त को लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम पार्ट दो के अपेंडिक्स 7 ए के अन्तर्गत परीक्षण कर प्रपत्र जोधपुर विकास आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 19 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण में 1.50 करोड रूपये से अधिक राशि के विकास कार्यों हेतु निविदा प्रकिया में आवश्यक संशोधन

जोधपुर विकास प्राधिकरण 1.50 करोड रूपये से ज्यादा के विकास कार्यों हेतु प्रतिस्पर्धात्मक निविदाएं प्राप्त करने हेतु एवं योग्य एवं क्षमतावान संवेदकों को Participation सुनिश्चित करने हेतु भविष्य में e-tendering के जरिये निविदा प्राप्त किया जाना प्रस्तावित हैं, चूंकि इस हेतु आवश्यक सोफ्टवेयर विकसित किया जाना है एवं कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाना होगा। अतः उक्त व्यवस्था होने तक ऐसी निविदाओं को जोधपुर विकास प्राधिकरण के प्रांगण के अतिरिक्त राजस्थान के दो अन्य शहर में जैसे जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर एवं नगर विकास न्यास, अजमेर में भी प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। जिससे प्रतिस्पर्धात्मक निविदाएं प्राप्त हो सकेगी।

बाद विचार विमर्श e-tendering की प्रकिया प्रारम्भ करने हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण एवं प्रचार--प्रसाद किये जाने के पश्चात् लागू किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 20 :: 90–बी नियमन कॉलोनियां में पेयजल आदि मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के संबंध में।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि 10 हैक्टेयर क्षेत्रफल की समस्त योजनाओं में जब तक पेयजल आपूर्ति एवं सीवरेज व्यवस्था (एस.टी.पी.) के बारे में डवलपर आश्वस्त नहीं करें, तब तक योजना के पट्टे जारी नहीं किये जाए। महापौर, नगर निगम, जोधपुर ने बताया कि डवलपर योजना अनुमोदित करवाकर भूखण्ड बेच कर पट्टे जारी कर देता है तत्पश्चात्, पट्टाधारी नगर निगम व जे.डी.ए. से पेयजल आपूर्ति के लिए दबाव बनाता है, जो कि कई परिस्थितियों में संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि विकासकर्ता योजना अनुमोदित कराने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि भूखण्डधारियों के लिए आवश्यक पेयजल स्त्रौत व वितरण व्यवस्था तैयार कर ली गई है। इसकी संतुष्ठि के पश्चात् ही प्राधिकरण उक्त योजना के पट्टे जारी करेगी।

प्रस्ताव संख्या 21 :: विकास कार्यों की निविदाएं आमंत्रित किये जाने के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में विकास के विभिन्न कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की गयी है। कुछ कार्यों के कार्यादेश भी दिये गये हैं। इन कार्यों की अनुमानित लागत 175.00 करोड़ रूपये हैं। प्राधिकरण के पास फिलहाल बजट का अभाव है किन्तु निकट भविष्य में विवेक विहार योजना, खसरा संख्या 269/1 की नीलामी, विवेक विहार योजना में, राजस्थान आवासन मण्डल को भूमि आवंटन, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ एवं अन्य राजकीय व केन्द्रीय विभागों को प्राधिकरण क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में भूमि आवंटन, विजयराजे नगर एवं प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में भूमि की नीलामी, मोगड़ा में प्रस्तावित आवासीय योजना आदि से पर्याप्त आय होने की संभावना है इसे दृष्टिगत रखते हुए विकास की प्रकिया को निरन्तर रखा जाना है। इस संबंध में प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

(140)

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के विकास के विभिन्न कार्यों हेतु आमंत्रित निविदा की प्रकिया निरन्तर रखी जावे। भविष्य में प्राधिकरण को नियमित रूप से राजस्व प्राप्त होने की विपुल संभावना है।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

कमांक/बैठक/2011/1801-II/382-411 दिनांक :: 15/4/~~मार्च~~, 2011

प्रतिलिपिः—

1— प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
2— निजी सहायक (अध्यक्ष महोदय) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3— जिला प्रमुख महोदया, जिला परिषद, जोधपुर
4— महापौर महोदया, नगर निगम, जोधपुर
5— जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
6— जिला पुलिस अधीक्षक (शहर) महोदय, जोधपुर
7— आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8— शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
9— उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन बोर्ड, जोधपुर
10— अपर मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
11— अपर मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
12— मुख्य प्रबन्धक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
13— वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
14— निदेशक—अभियांत्रिक/आयोजना/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15— ————————————————————

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

382-411
15/4/11

(141)

परिशिष्ट–1

दिनांक 21 मार्च, 2011 को अपरान्ह 2.30 बजे संभागीय आयुक्त महोदय एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. श्री रामेश्वर दाधीच, महापौर, नगर निगम, जोधपुर
2. श्रीमती दुर्गा बलाई, जिला प्रमुख, जोधपुर
3. श्री सिद्धार्थ महाजन, जिला कलक्टर एवं आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
4. श्री एम.एम. फुलवारिया, अति. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
5. श्री सी.के. बाफना, निदेशक–अभियांत्रिक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6. श्री महेन्द्र सांखला, अधीक्षण अभियन्ता, नगर वृत्त, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
7. श्री कैलाश रामदेव, अधिशाषी अभियन्ता–नगर वृत, डिविजन–प्रथम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
8. श्री एस.आर. जोशी, उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
9. श्री एच.डी. सोनी, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10. श्री अरूण उपाध्याय, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्री अमिताभ योगानन्दी, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर